मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

योजनाओं के अन्तर्गत EWS व LIG भूखण्ड
E-REGISTRATION
के द्वारा प्राप्त करने के सम्बन्ध में

<u>आवश्यक सूचना</u>

पल्लवपुरम फेस–2 पॉकेट एम, सैनिक विहार पॉकेट बी व सी, पांडव नगर, पॉकेट डी व ई में स्थित **EWS** भूखण्डों व पल्लवपुरम फेस–2 पॉकेट एम, सैनिक विहार पॉकेट बी व सी, पांडव नगर, पॉकेट डी व ई गंगानगर पॉकेट एल, ओ, एक्स, डा0 राम मनोहर लोहियानगर पॉकेट सी, एल, एम तथा शताब्दीनगर सैक्टर 4बी/बी, 4सी/ए, 4सी/बी, 4सी/सी व 4सी/ई में स्थित **LIG** भूखण्ड **E-REGISTRATION** कराकर **E-Allotment** पद्धति से प्राप्त करने हेतु पंजीकरण दिनांक 02–10–2024 से 02–11–2024 तक प्राधिकरण की वेबसाईट **www.mdameerut.in** के **E-REGISTRATION & ALLOTMENT** लिंक पर उपलब्ध है।

सचिव। उपाध्यक्ष।

संख्या ....

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

On Line Registration हेतु विवरण पुस्तिका

विकास प्राधिकरण, मेरठ की आवासीय योजनाओं में "जहाँ है, जैसा है," के आधार पर दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की लाटरी पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तें

(पंजीकरण अवधि : दिनांक 02–10–20024 से 02–11–2024 तक)

On Line Registration का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का **18** प्रतिशत **GST** सहित कुल मूल्य रूपये **100/-** मात्र

(विवरण पुस्तिका मूल्य रू0 84.75+ 18% GST कुल 100/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की आवासीय योजनाओं में ''जहाँ है, जैसा है,'' के आधार पर दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें–

1. योजना का नाम–

   1. पल्लवपुरम
   2. गंगा नगर
   3. सैनिक विहार
   4. पांडवनगर
   5. डा0 राम मनोहर लोहियानगर
   6. शताब्दीनगर

2. विशेष आकर्षण–

2.10 क–सड़क, सीवर, ड्रेनज, विद्युत एवम् जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त किया जायेगा।
ख–सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण एवम् सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जायेगा।

3.20 आवंटन प्रक्रिया का अत्यन्त सरलीकरण।

3.30 योजना का लाभ दिनांक 02–10–2024 से दिनांक 02–11–2024 तक।

3. ग्राहयता (पात्रता)–

3.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यस्क अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

3.30 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अव्यस्क बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिये।

3.40 **यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।**

3.50 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों की आय रूपये 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों की आय रूपये 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) से अधिक तथा अधिकतम् रूपये 6,00,000/–(छः लाख रूपये) तक होनी चाहिये। तदनुसाार आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

3.60 आवेदकों का आरक्षण का लाभ पाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति का प्रमाण का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

3.70 **पति–पत्नी को संयुक्त नाम पर पंजीकरण कराने व आवंटन कराने की सुविधा रहेगी। पति–पत्नी संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते है, किन्तु अन्य किसी परिजन को संयुक्त नाम पर सम्पत्ति लेने की सुविधा नही रहेगी। पति–पत्नी के पक्ष में संयुक्त नाम पर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड का विक्रय विलेख संयुक्त नाम पर किया जायेगा।**

4. आवेदन कैसे करें–

4.10 दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग **(EWS & LIG)** भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र व पंजीकरण धनराशि के विवरण सहित आवंटन के नियम एवं शर्तो की विवरण पुस्तिका मेरठ विकास प्राधिकरण की वैबसाईट **www.mdameerut.in** के **On Line Registration Link** पर उपलब्ध है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके नियम एवं शर्तो का भलि–भाँति अध्ययन करने के पश्चात्,आवेदक यदि दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग **(EWS & LIG)** भूखण्ड, लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु इच्छुक है तो उपरोक्त लिंक पर लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि अपने खाते से नियत अवधि के अन्दर **On Line** जमा करानी होगी।

4.20 आवेदक, जो **On Line** पंजीकरण धनराशि जमा करने में असमर्थ है, उनके लिये **RTG/NEFT** के माध्यम से चालान डाउनलोड करके पंजीकरण धनराशि जमा करने की सुविधा **On Line Registration Link** पर उपलब्ध रहेगी। ऐसे आवेदको को उपरोक्त लिंक से आवेदित भूखण्ड की पजीकरण धनराशि का चालान डाउनलोड करके अपने खाते से चालान के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगा।

4.30 आवेदकों को निम्नलिखि प्रपत्र पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ **On Line Registration Link** पर अपलोड करना होगाः–

(1) पंजीकरण धनराशि जमा की रसीद।

(2) आरक्षण के लाभ हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र जो लागू हो की स्वः हस्ताक्षरित छाया प्रति। नोटः–वर्गवार आरक्षण का विवरण, विवरण पुस्तिका में प्रकाशित है।

(3) वार्षिक आय सीमा की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आय के प्रमाण पत्र की स्वः हस्ताक्षरित छाया प्रति।

(4) आधार कार्ड की स्वः हस्ताक्षरित छाया प्रति।

(5) पैन कार्ड की स्वः हस्ताक्षरित छाया प्रति।

(6) रूपये 10/– के जनरल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार नोटरी मजिट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र। नोटः– शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप विवरण पुस्तिका में उपलब्ध है।

5. ड्रा प्रक्रिया–

5.10 आवेदकों की उपस्थिति में नियत दिनांक, जो पंजीकरण आवेदन पत्र भरने की अवधि के पश्चात् मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी, को भूखण्डों का आवंटन **On Line Lottery Draw** के द्वारा किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भूखण्ड विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

5.20 **लाटरी ड्रा सम्पन्न हो जाने के पश्चात जो भूखण्ड, कार्नर, पार्क पर अथवा 03 रोड़ को फेसिंग पर होगा, उसका मूल्यांकन निबन्धन कार्यालय के फार्मूलें पर लोकेशन चार्ज शामिल करते हुए**

किया जायेगा तथा लोकेशन चार्ज सहित भूमि मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि की गणना करके शामिल की जायेगी। तद्नुसार कुल देय धनराशि पर देय आवंटन धनराशि व देय किश्तों का निर्धारण किया जायेगा।

5.30 लाटरी ड्रा सम्पन्न हो जाने के पश्चात जो भूखण्ड, सामान्य लोकेशन पर स्थित होगे, उसके मूल्य में भूमि मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि की गणना करके शामिल की जायेगी। तद्नुसार कुल देय धनराशि पर देय आवंटन धनराशि व सब्याज देय किश्तों का निर्धारण किया जायेगा।

5.40 यदि स्थलीय माप अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल घटता है अथवा बढ़ता है, उसकी कीमत, लोकेशन चार्ज व फ्रीहोल्ड की धनराशि तद्नुसार देय होगी।

5.50 वर्तमान में खोले जा रहे पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका के संलग्नक–1 पर प्रकाशित तालिका में भूखण्ड का मूल्य औसत दर के आधार पर दर्शाया है। पंजीकरण के पश्चात् आवेदकों के पक्ष में भूखण्ड आवंटित हो जाने पर आवेदक का भूखण्ड जिस भी लोकेशन पर अवस्थित होना पाया जायेगा, तद्नुसार लागू दर से भूखण्ड का नियमानुसार मूल्यांकन व फ्रीहोल्ड की धनराशि की गणना की जायेगी। योजनावार भूखण्डों की प्रति वर्ग मीटर की दरों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	न्यूनतम दर रूपये	अधिकतम दर रूपये
1.	2.	3.	4.
1.	पल्लवपुरम फेस–2 आवासीय योजना	20000	22000
2.	गंगानगर आवासीय योजना	18800	21450
3.	सैनिक विहार आवासीय योजना	18000	20350
4.	पांडव नगर आवासीय योजना	27700	31790
5.	डा0 राम मनोहर लोहियानगर आवासीय योजना	15700	17270
6.	शताब्दीनगर आवासीय योजना	15400	16940

5.60 पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर निबन्धन के समय नियमानुसार पानी–सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क जमा कराया जायेगा।

5.70 मेरठ विकास प्राधिकरण योजनाओं में निम्नानुसार दुर्बल आय वर्ग श्रेणी एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड रिक्त है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	पॉकेट / सेक्टर	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल का विवरण
योजनावार दुर्बल आय वर्ग (EWS) श्रेणी के भूखण्डों का विवरण–				
1.	पल्लवपुरम	M	10	38.25 वर्ग मीटर प्रत्येक
2.	सैनिक विहार	B	30	40.00 वर्ग मीटर प्रत्येक
		C	17	38.70 से 39.40 वर्ग मीटर तक
3.	पांडव नबर	D	3	40.00 वर्ग मीटर प्रत्येक

		E	18	36.00 से 40.00 वर्ग मीटर तक
		TOTAL	78	
योजनावार अल्प आय वर्ग (LIG)श्रेणी के भूखण्डों का विवरण–				
1.	पल्लवपुरम	M	28	45.00 से 47.50 वर्ग मीटर तक
2.	गंगानगर	L	15	56.75 वर्ग मीटर प्रत्येक
		O	46	52.00 से 74.08 वर्ग मीटर तक
		X	38	55.00 वर्ग मीटर प्रत्येक
3.	सैनिक विहार	B	24	59.355 से 64.63 वर्ग मीटर तक
		C	36	47.50 से 60.00 वर्ग मीटर तक
4.	पांडव नगर	D	109	42.30 से 69.00 वर्ग मीटर तक
		E	4	42.75 वर्ग मीटर प्रत्येक
5.	डा0 राम मनोहर लोहियानगर	C	16	49.00 वर्ग मीटर प्रत्येक
		L	26	54.50 से 60.00 वर्ग मीटर तक
		M	20	70.58 वर्ग मीटर प्रत्येक
6.	शताब्दीनगर	4C/A	17	55.25 वर्ग मीटर प्रत्येक
		4C/B	11	55.00 से 75.00 वर्ग मीटर तक
		4C/C	81	50.00 से 60.00 वर्ग मीटर तक
		4C/E	19	61.875 वर्ग मीटर प्रत्येक
		TOTAL	490	

5.80 मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के प्रत्येक पॉकेट/सेक्टर के रिक्त सभी भूखण्डों शामिल करके आवेदकों की उपस्थिति में लाटरी ड्रा किया जायेगा। किसी भी आवेदक का योजना के किसी सेक्टर अथवा पॉकेट विशेष के भूखण्ड के लिये आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. आरक्षण कोटा–

6.10 योजना की रिक्त सम्पत्तियों के सापेक्ष वर्गवार आरक्षण का प्रतिशत तालिका में उल्लिखित है:–

क्र0सं0	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जन जाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	05

5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	05
6.	उ0प्र0 आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03

6.20 विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 03 प्रतिशत होरिजेन्टल तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः आवेदको को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा विरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटा भरना आवश्यक हैं। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य यह है कि पंजीकरण की तिथि को आवेदक की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक हो चुकी हो।

6.30 **यदि आवेदक एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आता है तो कृपया वह पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व, स्वयम् निश्चित कर लें कि वें कौन सी एक आरक्षण श्रेणी का लाभ पाना चाहते है, अपने आवेदन पत्र में उस आरक्षित श्रेणी का ही उल्लेख करें। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदक समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते है तो आवंटन समान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।**

7 भुगतान प्रक्रिया–

7.10 मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त भूखण्डों की श्रेणीवार उपलब्धता, अनुमानित मूल्य, आवेदन राशि, आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र के जारी दिनांक से एक माह के अन्दर देय आवंटन राशि तथा भुगतान अवधि एवं अनुमन्य किश्तों का विवरण पुस्तिका में <u>संलग्नक–1</u> में उल्लिखित है।

7.20 भुगतान विधि तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार, निर्धारित तिथि तक वांछित आवंटन धनराशि अदा न करने की दशा में निर्धारित एक माह की अवधि के बाद विलम्ब अवधि के लिये दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों के लिये **13.00** प्रतिशत, अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों के लिये **14.00** प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा।

8. ब्याज व दण्ड ब्याज–

8.10 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की किश्तों का निर्धारण आवेदक की जमा पंजीकरण धनराशि व एक माह की अवधि के अन्दर देय आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर **9.50** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ **03** वर्ष की **06** फ्लैट छमाही किश्तों का निर्धारण तथा इसी प्रकार अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों की किश्तों का निर्धारण आवंटी की जमा पंजीकरण धनराशि व एक माह की अवधि के अन्दर देय आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर **10.50** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ **03** वर्ष की **06** फ्लैट छमाही किश्तों का निर्धारण किया जायेगा।

8.20 यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि/देय किश्तों का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों के सापेक्ष विलम्ब अवधि हेतु **13.00** प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज तथा अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों के सापेक्ष विलम्ब अवधि हेतु **14.00** प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय

होगा। आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष **02** या **02** से अधिक किश्तों का डिफाल्ट होने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.30 <u>लाटरी ड्रा के पश्चात् भूखण्ड का आवंटन कम किश्त पत्र निर्गत होने पर आवेदकों को आवंटन धनराशि तथा किश्तों की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मेरठ में जमा करनी होगी। **On Line Payment/RTGS/NEFT** के माध्यम से भुगतान हेतु एच0डी0एफ0सी0बैंक में संचालित प्राधिकरण के खाते का विवरण निम्नवत् है:–</u>

1.HDFC BANK, SURYANS PLAZA, GARH ROAD, MEERUT

DETAILS FOR RTGS		
1	IFSC CODE	HDFC0001911
2	Account No.	50100056171918
3	ACCOUNT HOLDER'S NAME	VICE CHAIRMAN, MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY, MEERUT
4	MDA PAN NO.	AAALM0124D

देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट **RTGS/NEFT** के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

8.40 आवेदकों द्वारा देय धनराशि का भुगतान अपने निजी खाते से ही करना होगा अन्य के खाते से भुगतान करायी गयी धनराशि को प्राधिकरण आवंटित सम्पत्ति के रिकार्ड पर नहीं ले सकेगा।

9. कब्जा–

9.10 आवंटी को प्राथमिक स्टेज़ पर भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य का न्यूनतम् 40 प्रतिशत धनराशि अथवा एक वर्ष की अवधि, जो भी बाद में हो, नियमानुसार फ्रीहोल्ड किश्त क्रय अनुबन्ध का पंजीयन कराने पर दिया जायेगा।

9.20 भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/विक्रय विलेख जो भी पहले निष्पादित हो, निष्पादित कराने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा कब्जा हस्तान्तरण हेतु सूचित किये जाने के उपरान्त आवंटी द्वारा कब्जा न लिया जाने पर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति की देखभाल एवम् रख रखाव हेतु दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भखण्ड का रूपये 50/– प्रति माह एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डों का रूपये 100/– प्रति माह की दर से चौकीदारा शुल्क देय होगा।

9.30 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते है, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय–समय पर करना होगा।

9.40 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्चे पर लेगा।

10. निबन्धन प्रक्रिया–

भूखण्ड की देय ब्याज व दण्ड ब्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान, (लोकेशन चार्ज के मद में देय धनराशि, लोकेशन चार्ज सहित कीमत का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड, पानी–सीवर संयोजन शुल्क, रोड कटिंग चार्ज, दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराने) के पश्चत् नियमानुसार देय निर्धारित स्टाम्प ड्युटी अदा करने पर भूखण्ड की रजिस्ट्री/विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसके लिखाई–पढ़ायी का सम्पूर्ण व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

11. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी–

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगाः–

(अ) आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस की जायेगी।

(ब) आवंटन पत्र निर्गत होने के बाद किन्तु अगली 10 प्रतिशत धनराशि (आवंटन धनराशि) जमा होने से पूर्व, जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर, जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 05(पाँच) प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15(पन्द्रह) प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

12. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया–

भूखण्ड के निरस्तीकरण उपरान्त यदि आवेदक भूखण्ड का आवंटन पुनर्जिवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से दो माह के अन्दर कराना चाहे तो भूखण्ड के आवंटन बहाली करने के दिनांक को योजना में लागू भूमि दर (आवासीय की सेक्टर दर) से भूखण्ड का मूल्यांकन करके भूखण्ड बहाल किया जा सकेगा।

13.00 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना–

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण व भूखण्ड का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. अन्य सूचनायें/शर्ते–

14.10 आवेदक को भूखण्ड का विलेख निष्पादित होने से पूर्व एवं निष्पादित होने के पश्चात् प्राधिकरण के आदेशों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन करना होगा एवं भूखण्ड के विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी शर्ते स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा

14.20 यदि प्राधिकरण की योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम–1894 (यथा संशोधित) की धारा–18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम–1894 (यथा संशोधित) की धारा–28 ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में योजना के आवंटित भूखण्डों का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

14.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत–प्रतिशत जब्त करते हुए भूखण्ड मूल्य के सापेक्ष जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

14.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में योजना का नाम, पंजीकरण आवेदन पत्र की संख्या तथा भूखण्ड के आवंटन के पश्चात् योजना का नाम, आवंटित भूखण्ड की श्रेणी व संख्या के विवरण के साथ एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा पता परिवर्तन की सूचना समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी के अभाव में, आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नही होगा।

14.50 तालिका में उल्लिखित भूखण्डों के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक, नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल हो सकेगे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

14.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

14.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तो में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

14.80 विवरणपुस्तिका में उल्लिखित भूखण्डों का क्षेत्रफल व कीमत, अनुमानित है जो स्थलीय माप अनुसार भूखण्ड के वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार देय होगी।

14.90 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

संलग्नक–1

(पंजीकरण दिनांक 02–10–2024 से 02–11–2024 तक)

रिक्त भूखण्डों के पंजीकरण हेतु विवरण तालिका

क्र0 सं0	योजना का नाम	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूखण्ड की अनुमानित कीमत	सामान्य वर्ग के लिये पंजीकरण धनराशि (10%)	आरक्षित वर्ग के लिये पंजीकरण धनराशि (5%)	आवंटन धनराशि (10%)	किश्तों का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
योजनावार दुर्बल आय वर्ग (EWS) श्रेणी के भूखण्डों का विवरण–								
1.	पल्लवपुरम	10	38	772650	77265	38633	77265	भूखण्ड की शेष धनराशि पर 9.50 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 06 फ्लैट छमाही किश्तों में। विलम्ब अवधि हेतुदण्ड ब्याज की दर 13 प्रतिशत वाषिक चक्रवृद्धि ब्याज।
2.	सैनिक विहार	47	40	725577	72558	36279	72558	
3.	पांडव नबर	18	37	1058708	105871	52935	105871	
योजनावार अल्प आय वर्ग (LIG)श्रेणी के भूखण्डों का विवरण–								
1.	पल्लवपुरम	28	46	932304	93230	46615	93230	भूखण्ड की शेष धनराशि पर 10.50 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 06 फ्लैट छमाही किश्तों में। विलम्ब अवधि हेतु दण्ड ब्याज की दर 14 प्रतिशत वाषिक चक्रवृद्धि ब्याज।
2.	गंगानगर	99	59	1122187	112219	56109	112219	
3.	सैनिक विहार	65	61	1116205	111620	55810	111620	
4.	पांडव नगर	116	59	1695367	169537	84768	169537	
5.	डा0 राम मनोहर लोहियानगर	62	59	938676	93868	46934	93868	
6.	शताब्दीनगर	128	59	926781	92678	46339	92678	

1. समान्य वर्ग के आवेदकों को भूखण्ड के अनुमानित मूल्य की 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जो तालिका के कॉलम 6 में उल्लिखित है, के अनुसार जमा करनी है

तथा

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, उ0प्र0 आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित) **के आवेदकों को भूखण्ड के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जो तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित है, के अनुसार जमा करनी है।**

2. लोकेशन चार्ज व फ्रीहोल्ड सहित **दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड** के कुल मूल्य में जमा पंजीकरण धनराशि व आवंटन के पश्चात् एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि (दोनों) को घटाने पर शेष धनराशि पर **9.50** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ **03** वर्ष की **06** फ्लैट छमाही किश्तों में। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से जमा करने की स्थिति में विलम्ब अवधि का **13** प्रतिशत वाषिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।
3. लोकेशन चार्ज व फ्रीहोल्ड सहित **दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड** के कुल मूल्य में जमा पंजीकरण धनराशि व आवंटन के पश्चात् एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि (दोनों) को घटाने पर शेष धनराशि पर **10.50** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 06 फ्लैट छमाही किश्तों में। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से जमा करने की स्थिति में विलम्ब अवधि का **14** प्रतिशत वाषिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।
4. उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ अनुमानित आधार पर है, जो परिवर्तनीय है। भूखण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल व कीमत में स्थलीय माप अनुसार परिवर्तन हो सकता है।
5. तालिका में उल्लिखत भूखण्डों की कीमत औसत् आधार पर है। आवेदक के पक्ष आवंटित भूखण्ड के वास्तविक क्षेत्रफल भूखण्ड एवं लोकेशन के आधार पर नियमानुसार लागू दर से भूखण्ड की कीमत+लोकेशन चार्ज+फ्रीहोल्ड धनराशि सहित कुल मूल्य पर आवंटन धनराशि व किश्तों की गणना की जायेगी।
6. देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट अथवा **On line/RTGS/NEFT** के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
7. आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

x-x-x

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रूपये 10/– के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथ पत्र

समक्षः– उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

यह कि मेरा नाम .... पुत्र/पुत्री/......................... है तथा .... का निवासी हूँ तथा मेरी आयु लगभग .... वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँः–

1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।

2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् मुझ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3 यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अव्यस्क बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थनीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

4 यह कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की पंजीकरण व आवंटन धनराशि को शत प्रतिशत जब्त करते हुए तथा इसके अतिरिक्त भवन की किश्तों आदि के रूप में जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती की जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त कटौती के पश्चात् शेष बची हुई धनराशि बिना ब्याज वापस की जायेगी जिस पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

. . . .

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 5 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मद्द करें।

दिनांक : ....

प्रमाणित स्थान–........................

. . . .

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

आवेदन पत्र संख्या ....

पंजीकरण अवधि : दिनांक 02–10–2024 से 02–11–2024 तक

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्राधिकरण की योजना में भूखण्ड के लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित चस्पा फोटो

1– आवेदन किस श्रेणी की सम्पत्ति के लिये है–

(अ) योजना का नाम ....

(ब) आवेदित भूखण्ड की श्रेणी (LIG/EWS) ....

2–आवेदक का नाम हिन्दी में ....

अंग्रेजी में ....

3– आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....

अंग्रेजी में ....

4– आवेदक की आयु .... वर्ष लिंग .... वैवाहिक स्थिति ....

5– व्यवसाय ....

6– पत्र व्यवहार का पूरा पता पिन कोड सहित ....

....व मो0नं0 ....

7– स्थायी पता पिन कोड सहित ....

....व मो0नं0 ....

8– आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता संख्या, ... दूरभाष सहित बैंक का पूरा नाम .... **IFSC CODE** ....

9– पंजीकरण धनराशि का विवरण ....

10– यदि आरक्षित श्रेणी के है तो प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति सहित विवरण दें जाति ....

उप जाति .... व अन्य विवरण ....

11– आवेदक ने प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी पंजीकरण पुस्तिका का अध्ययन कर लिया गया है। पंजीकरण पुस्तिका में प्रकाशित नियम एवम् शर्तें आवेदक को मान्य है जिनका पालन करने हेतु आवेदक एतद्द्वारा वचन देता है।

. . . .

आवेदन की तिथि.. आवेदक के हस्ताक्षर–

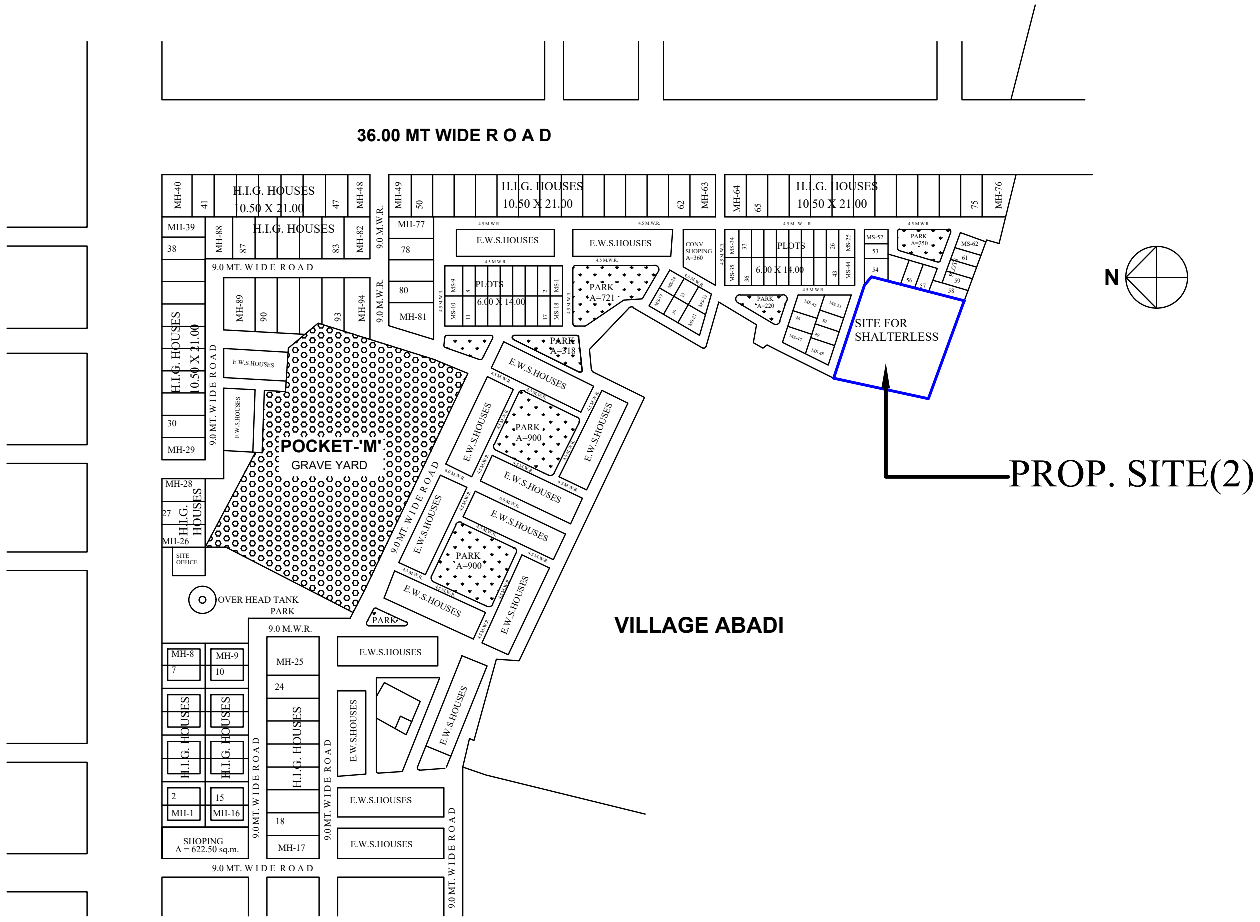

PALLAV PURAM-II (POCKET-M)

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

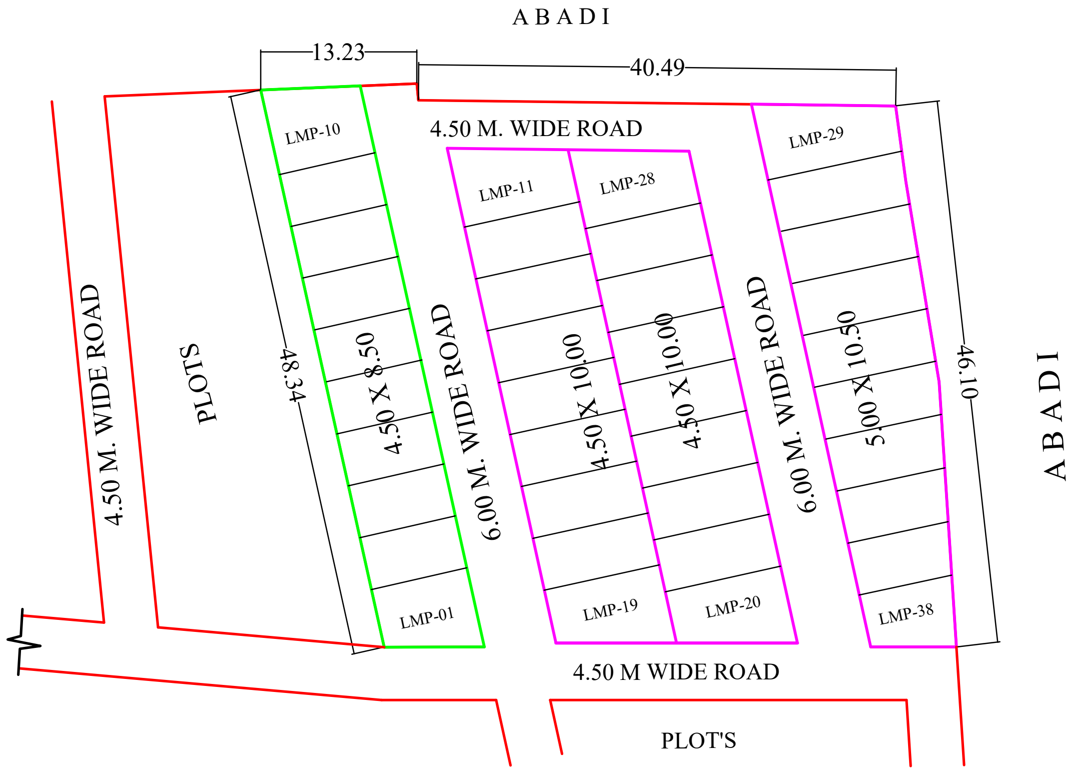

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOT AT PALLAVPURAM PHASE -2, POCKET-M IN MEERUT.(EXIST.SITE FOR SHELTERLESS)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	2392.87 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	2392.87 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1737.19 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	655.68

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-10	10	38.25
2.	LMP-11 TO LMP-28	18	45.00
3.	LMP-29 TO LMP-38	10	47.25
	TOTAL	38	

SUR./D.MAN	DATE :- 01/05/2024 SCALE :-	NORTH :-
A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	
SECRETARY	V.C.	

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOT AT SAINIK VIHAR POCKET-B IN MEERUT.(EXIST.SITE N.S.)

SAINIK VIHAR POCKET -"B"

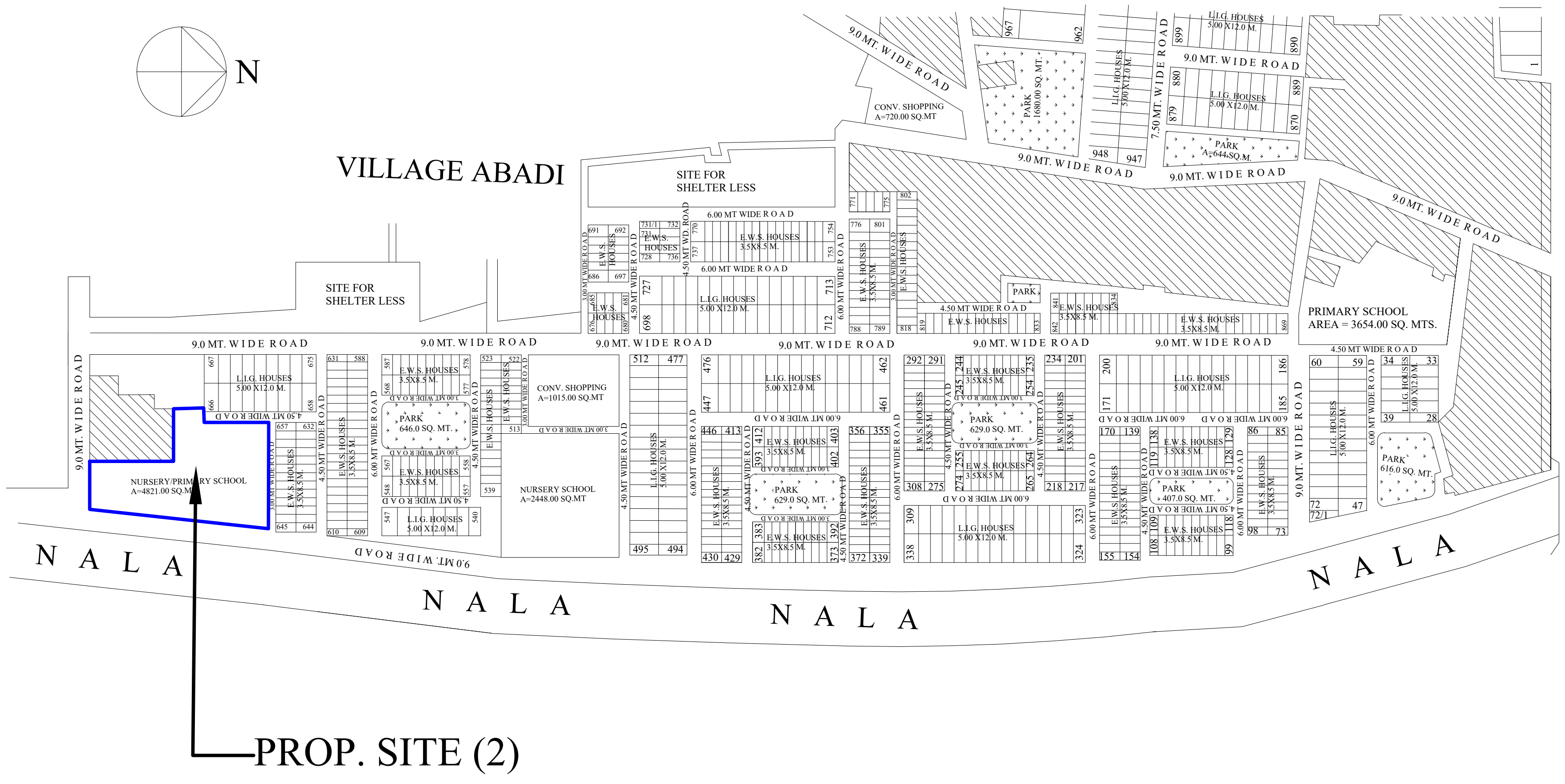

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

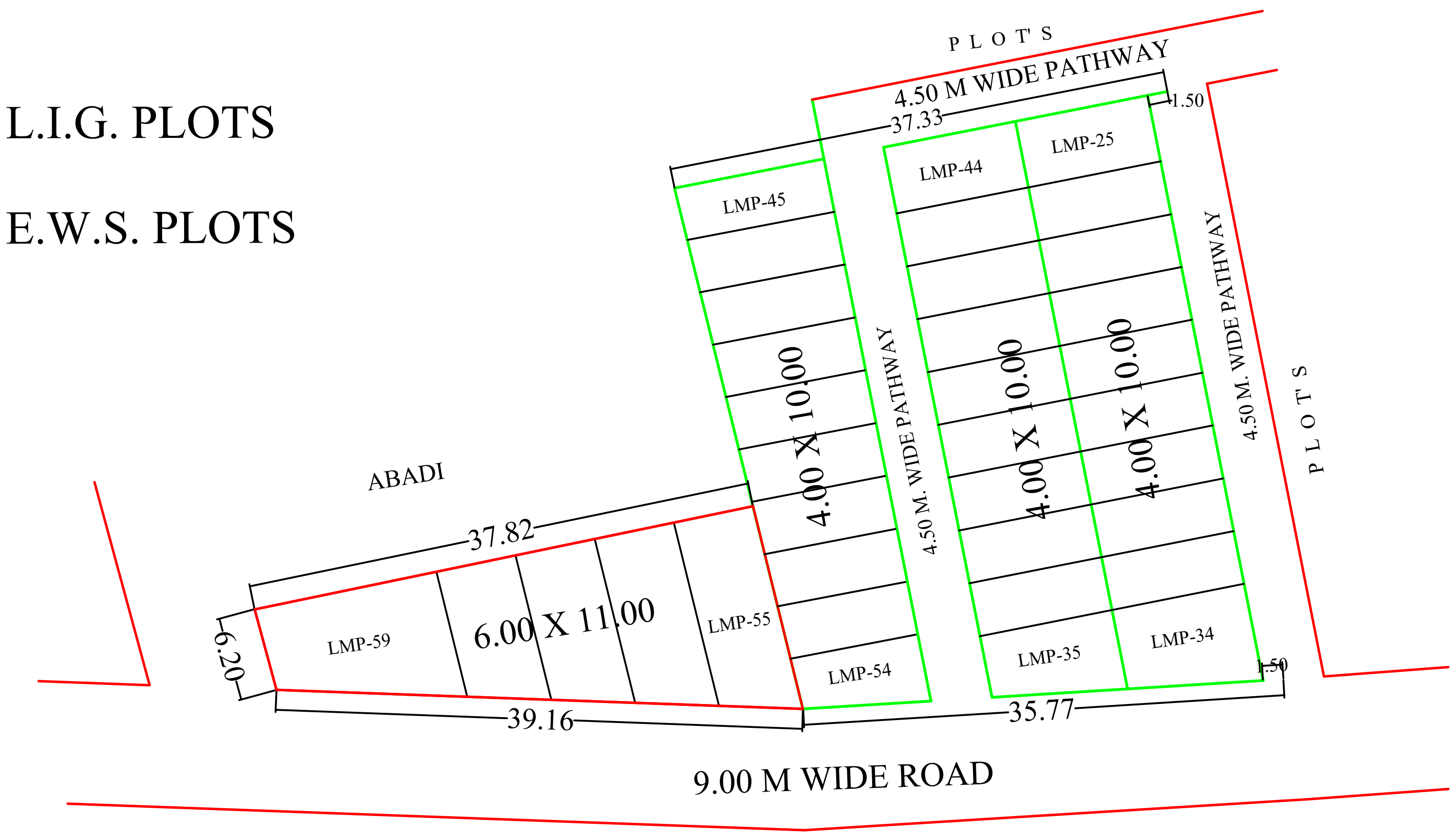

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	1941.23 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	1941.23 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1688.68 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	252.55 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-25 TO LMP-54	30	40.00
2.	LMP-55 TO LMP-59	05	66.00
	TOTAL	35	

DATE :- 01/05/2024

SCALE :-

NORTH :-

SUR./D.MAN

A.E.PLANNING

T.P./C.T.P.

SECRETARY

V.C.

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

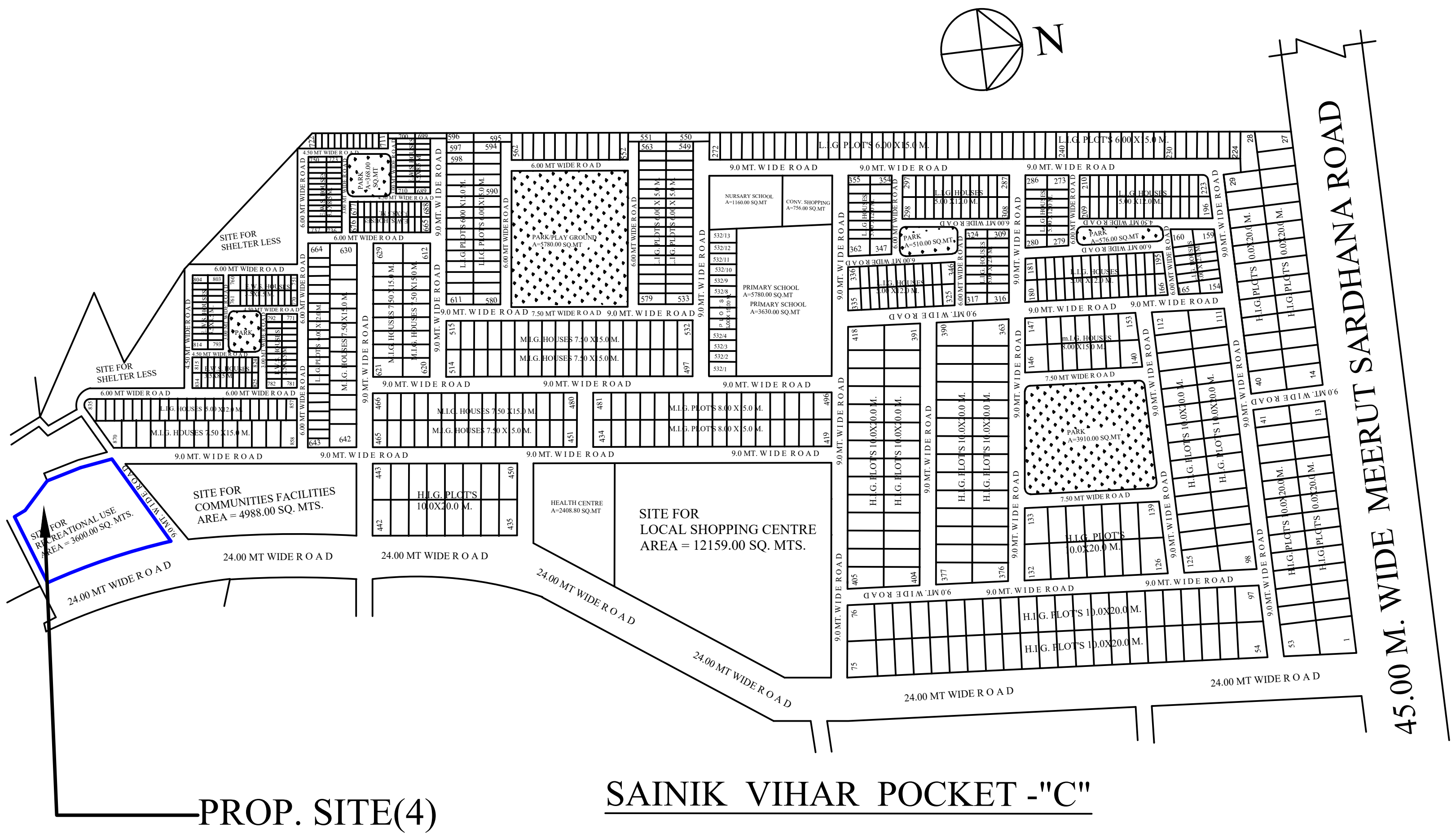

SAINIK VIHAR POCKET -"C"

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOT AT SAINIK VIHAR POCKET-C IN MEERUT.(EXIST.SITE RECREATIONAL USE)

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

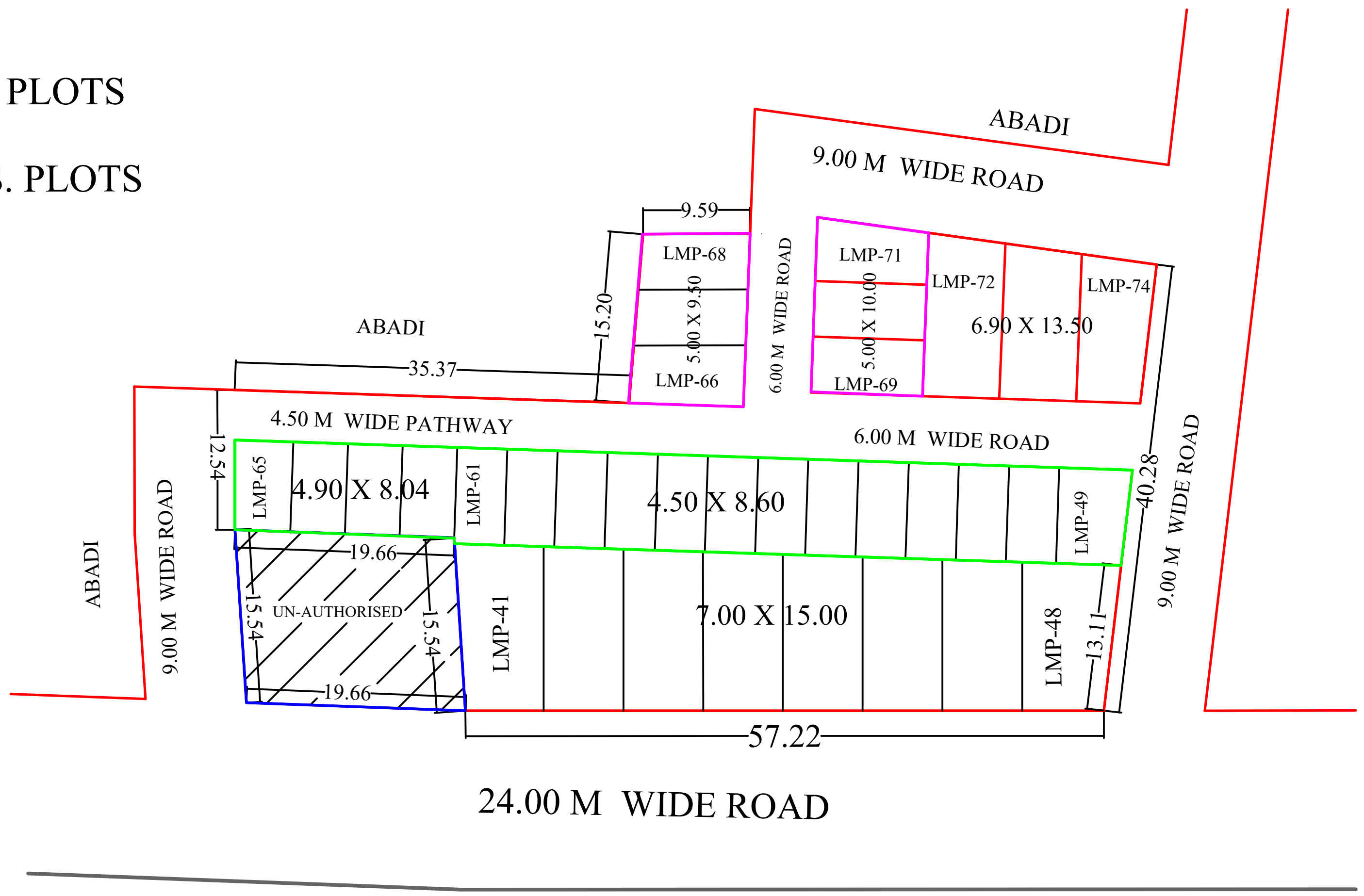

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	2583.83 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	2583.83 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	2069.40 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	514.43 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-41 TO LMP-48	08	105.00
2.	LMP-49 TO LMP-61	13	38.70
3.	LMP-62 TO LMP-65	04	39.40
4.	LMP-66 TO LMP-68	03	47.50
5.	LMP-69 TO LMP-71	03	50.00
5.	LMP-72 TO LMP-74	03	93.15
	TOTAL	34	

DATE :- 01/05/2024

SCALE :-

NORTH :-

SUR./D.MAN

A.E.PLANNING

T.P./C.T.P.

SECRETARY

V.C.

SAINIK VIHAR POCKET -"B"

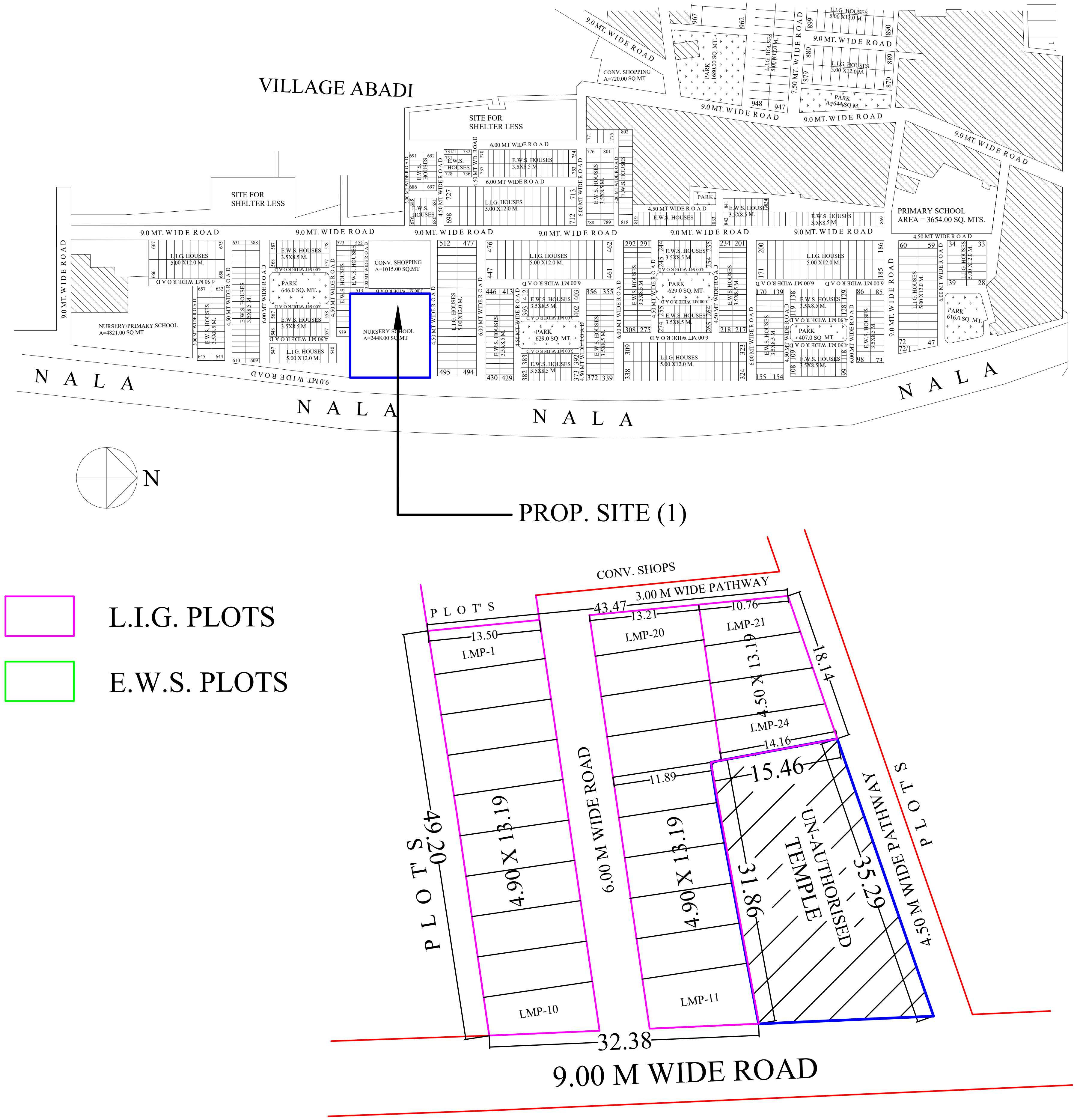

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOT AT SAINIK VIHAR POCKET-B IN MEERUT.(EXIST.SITE N.S./P.S.)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	1808.86 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	1808.86 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1508.67 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	300.19 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-20	20	64.63
2.	LMP-21 TO LMP-24	04	59.355
	TOTAL	24	

DATE :- 01/05/2024

SCALE :-

NORTH :-

SUR./D.MAN

A.E.PLANNING

T.P./C.T.P.

SECRETARY

V.C.

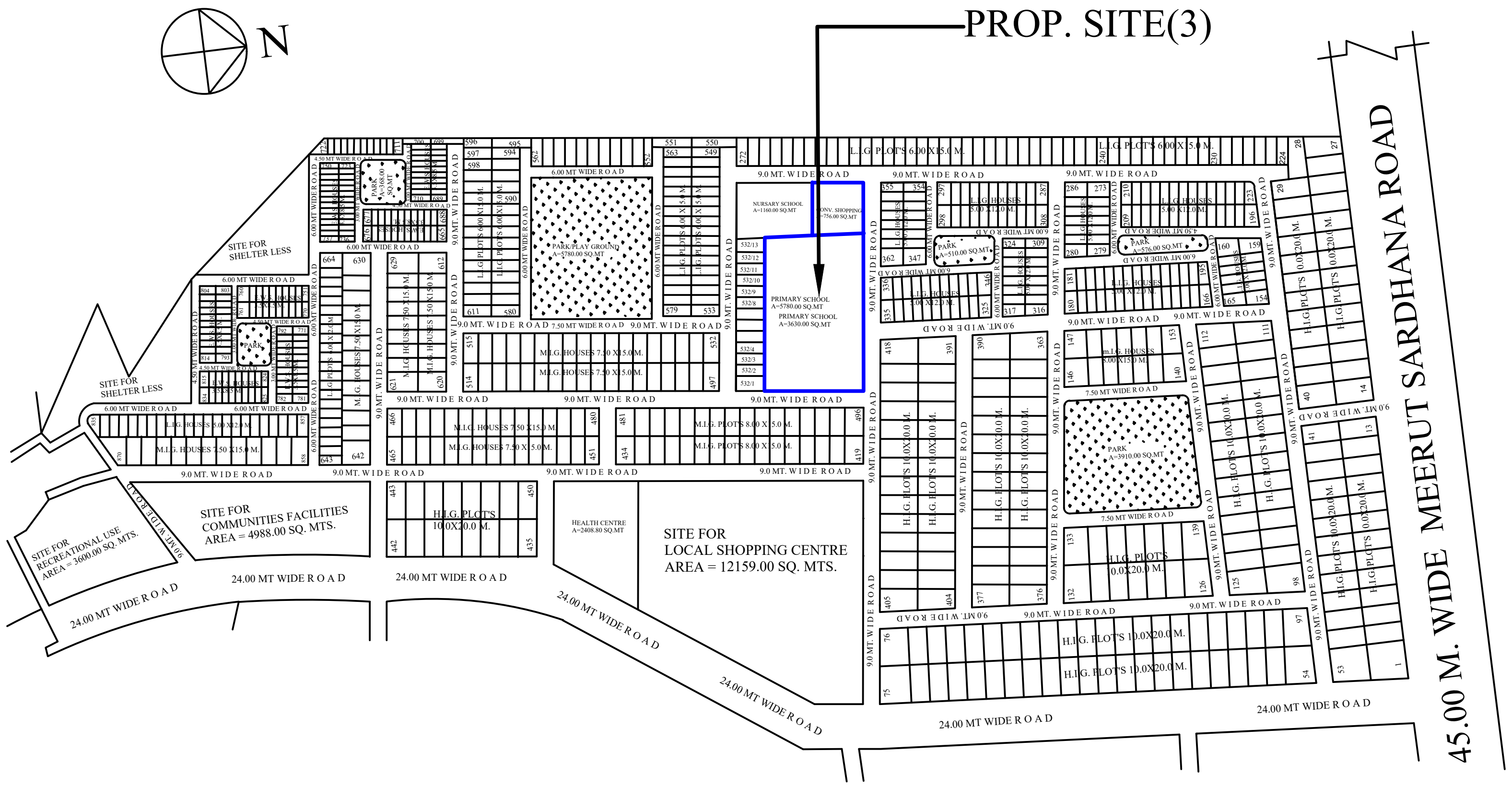

SAINIK VIHAR POCKET -"C"

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

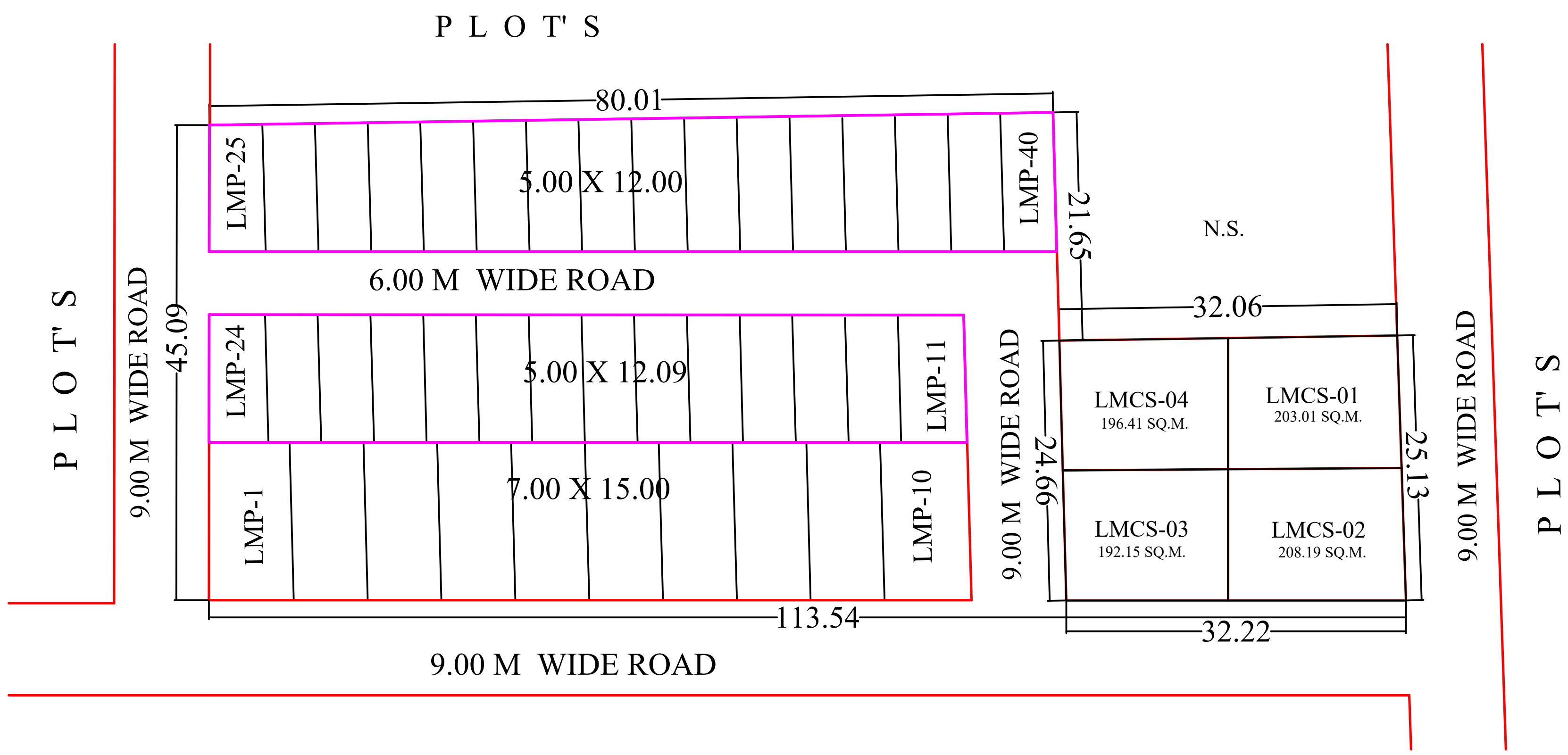

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL & CONV.SHOPS PLOT AT SAINIK VIHAR POCKET-C IN MEERUT.(EXIST.SITE PRIMARY SCHOOL & CONV.SHOPS)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	4485.54 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	4485.54 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	3758.68 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	726.86 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-10	10	105.00
2.	LMP-11 TO LMP-40	30	60.00
	TOTAL	40	
3.	LMCS-01	01	203.00
4.	LMCS-02	01	208.20
5.	LMCS-03	01	192.15
6.	LMCS-04	01	196.41

DATE :- 01/05/2024

SCALE :-

NORTH :-

SUR./D.MAN

A.E.PLANNING

T.P./C.T.P.

SECRETARY

V.C.

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT PANDAV NAGAR POCKET-D IN MEERUT.(EXIST.SITE GROUP HOUSHING)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	12122.24 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	12122.24 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	7611.83 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	3848.91 SQ.M.
AREA UNDER PARK	661.50 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01, LMP-02, LMP-03	03	81.10,98.40,103.55
2.	LMP-04 TO LMP-06 & LMP-07	04	69.00,133.22
3.	LMP-08 TO LMP-30	23	66.00
4.	LMP-31, LMP-32	02	82.50
5.	LMP-33 TO LMP-94	62	60.00
6.	LMP-95 TO LMP-101	07	54.00
7.	LMP-102 TO LMP-107	06	58.25
8.	LMP-108 TO LMP-112	05	42.50
9.	LMP-113 TO LMP-116	04	45.00
10.	LMP-117 TO LMP-119	03	40.00
	TOTAL	119	

ABHISHEK VERMA
25-07-2024
SUR./D.MAN

DATE :- 01/05/2024

SCALE :-

NORTH :-

MANOJ TIWARI
25-07-2024
A.E.PLANNING

VIJAY KUMAR SINGH
25-07-2024
T.P./C.T.P.

AANAND KUMAR SINGH
25-07-2024
SECRETARY

ABHISHEK PANDEY
25-07-2024
V.C.

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT PANDAV NAGAR POCKET-E IN MEERUT.(EXIST.SITE P.S.)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	1269.90 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	1269.90 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	946.45 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	323.45 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-05	05	37.00
2.	LMP-06 TO LMP-10	05	40.00
3.	LMP-11 TO LMP-14	04	36.00
4.	LMP-15 TO LMP-18	04	36.00
5.	LMP-19 TO LMP-22	04	42.75
	TOTAL	22	

DATE :- 01/05/2024

SCALE :-

NORTH :-

ABHISHEK VERMA
25-07-2024
SUR./D.MAN

MANOJ TIWARI
25-07-2024
A.E.PLANNING

VIJAY KUMAR SINGH
25-07-2024
T.P./C.T.P.

AANAND KUMAR SINGH
25-07-2024
SECRETARY

ABHISHEK PANDEY
25-07-2024
V.C.

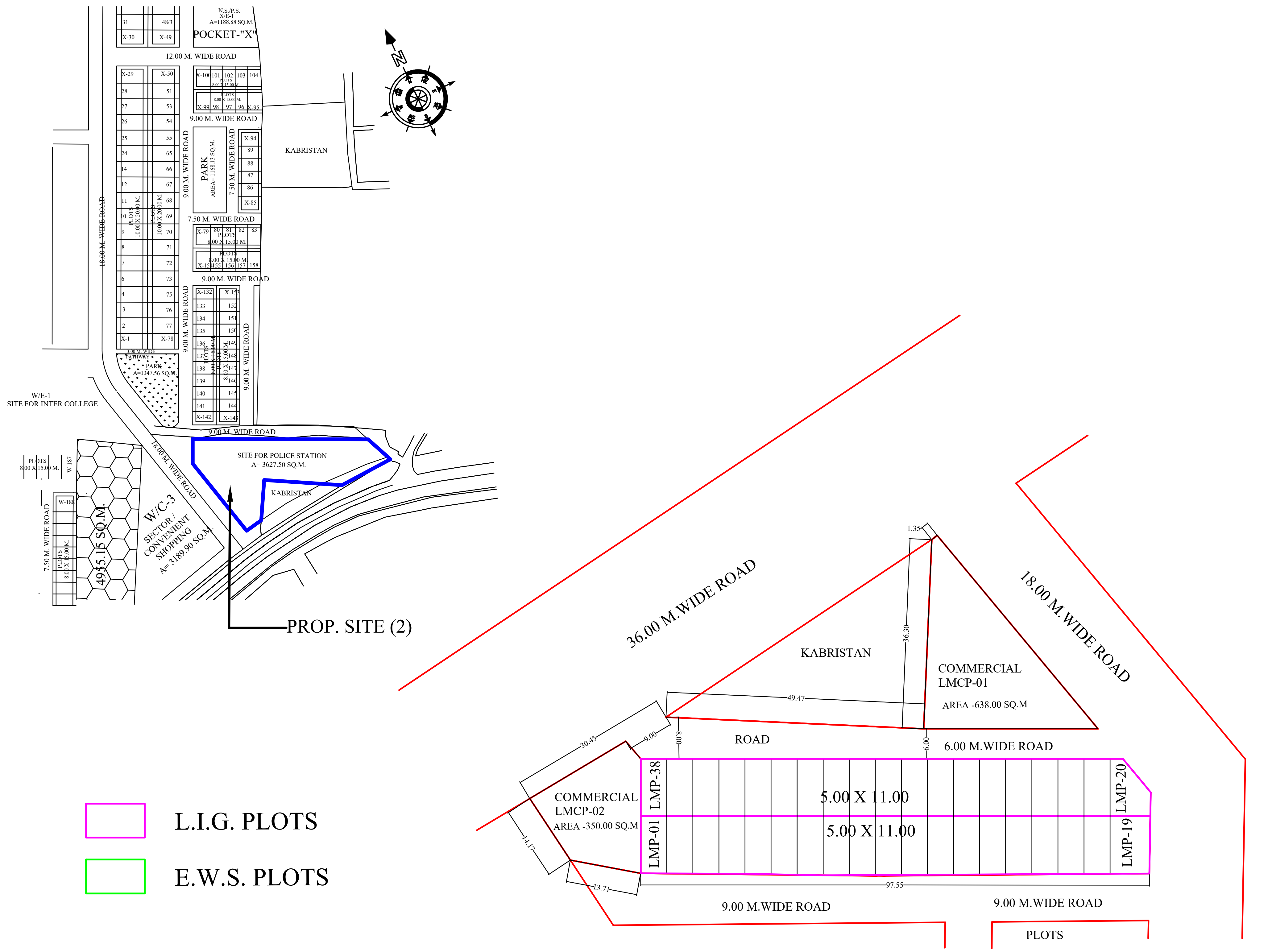

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL & COMMERCIAL PLOTS AT GANGA NAGAR EXTENTION POCKET-X IN MEERUT.(EXIST.SITE POLICE STATION)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	3728.40 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	3728.40 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	3143.46 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	584.94 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-38	38	55.00
	TOTAL	38	
2.	LMCP-01	01	638.31
3.	LMCP-02	01	350.00
	TOTAL	02	

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024 SCALE :-	NORTH :-
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

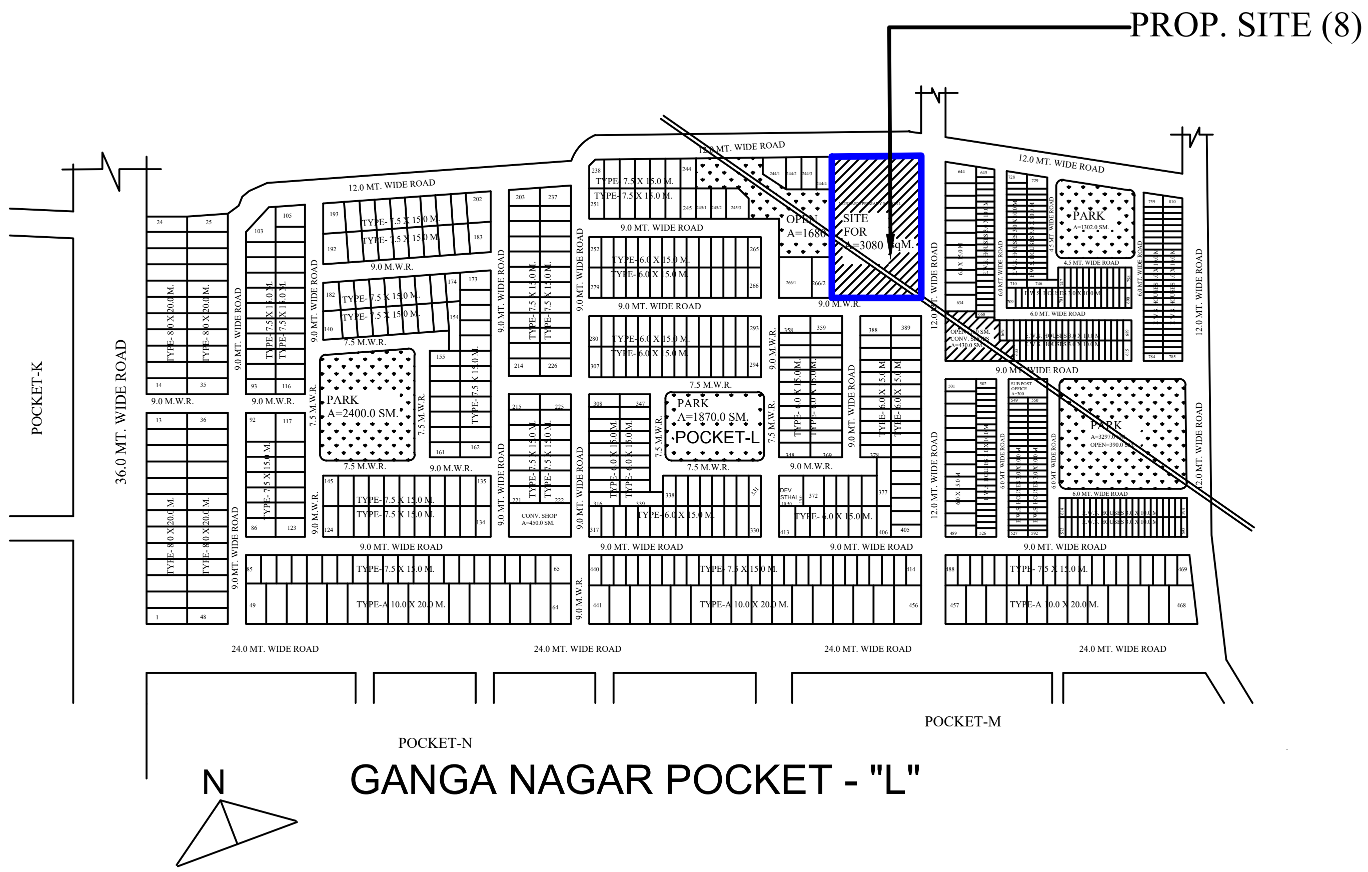

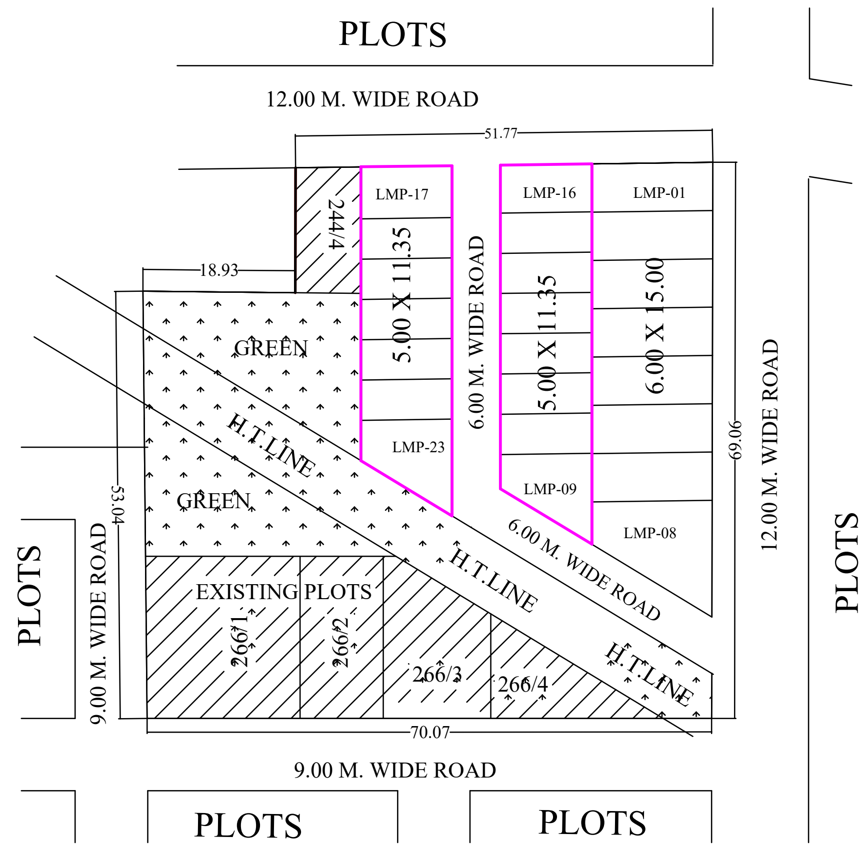

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT GANGA NAGAR PHASE-III POCKET-L IN MEERUT.(EXIST.SITE NURSERY / PRIMARY SCHOOL)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	4543.71 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	2181.75 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1773.94 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	407.81 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-08	08	90.00
2.	LMP-09 TO LMP-23	15	56.75
	TOTAL	23	

ABHISHEK VERMA
25-07-2024
SUR./D.MAN

DATE :- 01-05-2024

SCALE :-

NORTH :-

MANOJ TIWARI
25-07-2024
A.E.PLANNING

VIJAY KUMAR SINGH
25-07-2024
T.P./C.T.P.

AANAND KUMAR SINGH
25-07-2024
SECRETARY

ABHISHEK PANDEY
25-07-2024
V.C.

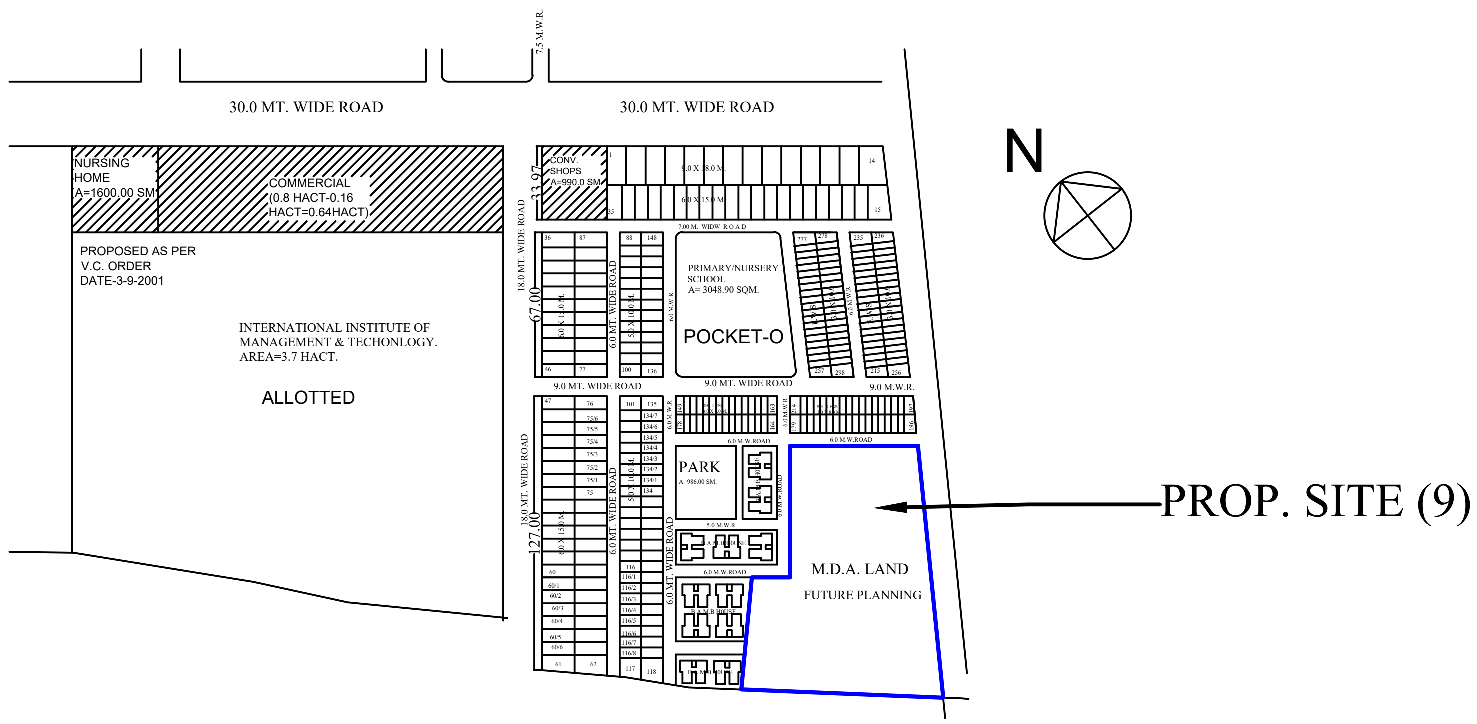

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

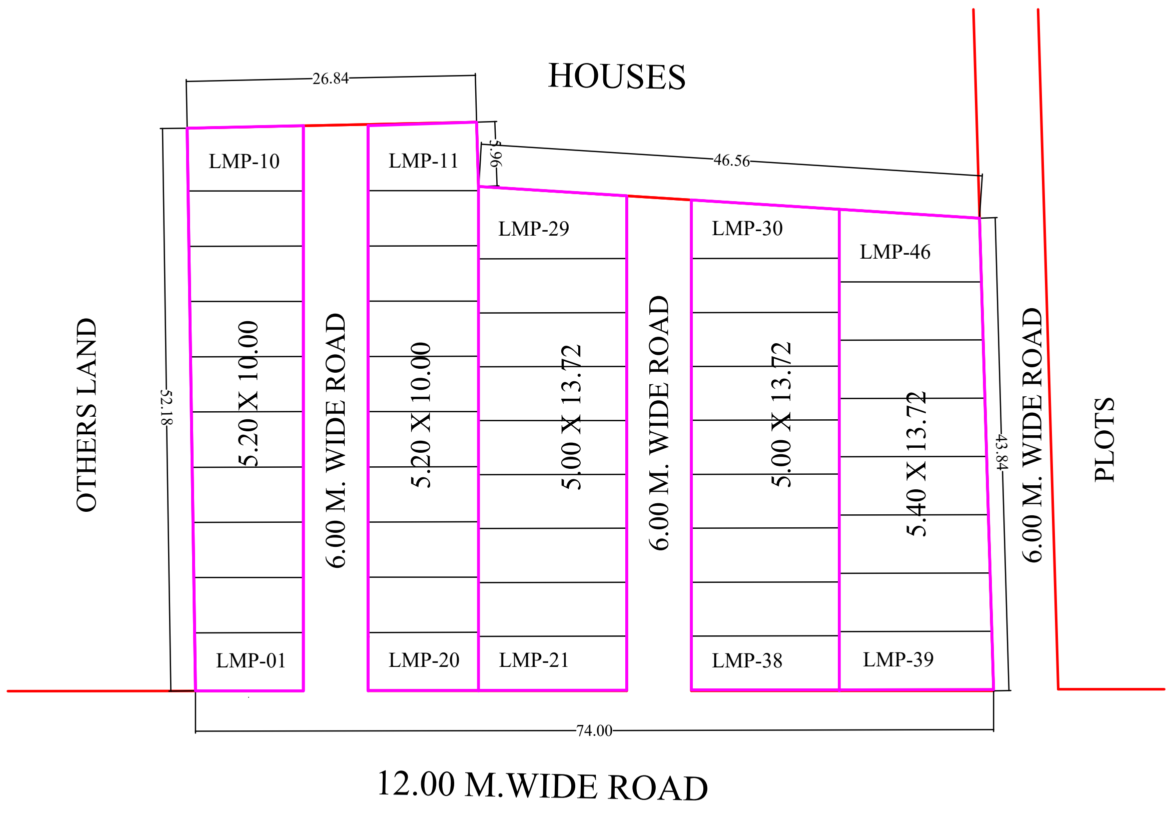

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOT AT GANGA NAGAR PHASE-III POCKET-O IN MEERUT.(EXIST.SITE FUTURE PLANNING)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	3530.02 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	3530.02 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	2946.31 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	583.71 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-20	20	52.00
2.	LMP-21 TO LMP-38	18	68.08
3.	LMP-39 TO LMP-46	08	74.08
	TOTAL	46	

DATE :- 01-05-2024

SCALE :-

NORTH :-

ABHISHEK VERMA
25-07-2024
SUR./D.MAN

MANOJ TIWARI
25-07-2024
A.E.PLANNING

VIJAY KUMAR SINGH
25-07-2024
T.P./C.T.P.

AANAND KUMAR SINGH
25-07-2024
SECRETARY

ABHISHEK PANDEY
25-07-2024
V.C.

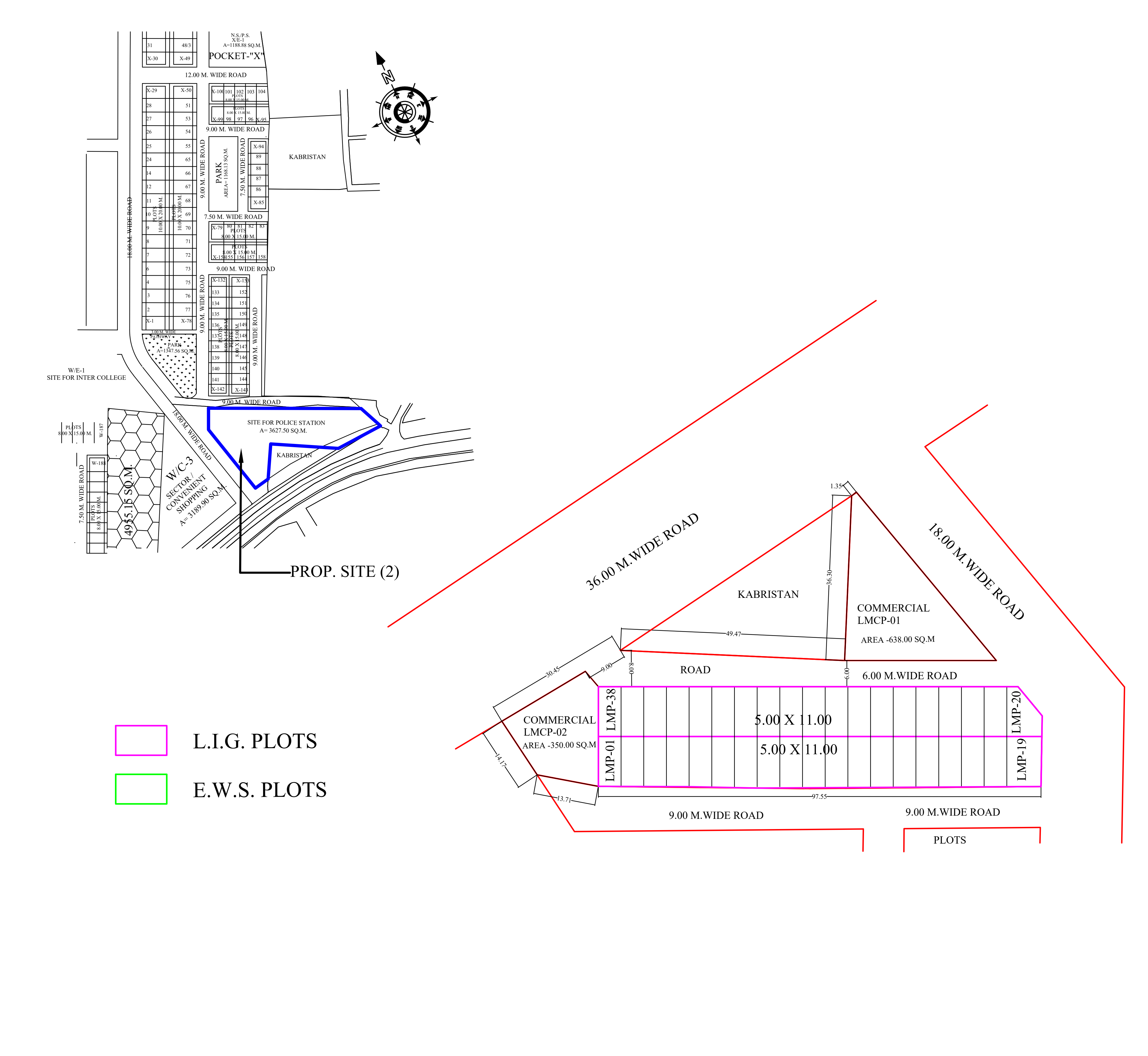

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL & COMMERCIAL PLOTS AT GANGA NAGAR EXTENTION POCKET-X IN MEERUT.(EXIST.SITE POLICE STATION)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	3728.40 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	3728.40 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	3143.46 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	584.94 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-38	38	55.00
	TOTAL	38	
2.	LMCP-01	01	638.31
3.	LMCP-02	01	350.00
	TOTAL	02	

ABHISHEK VERMA
25-07-2024
SUR./D.MAN

DATE :- 01-05-2024

SCALE :-

NORTH :-

MANOJ TIWARI
25-07-2024
A.E.PLANNING

VIJAY KUMAR SINGH
25-07-2024
T.P./C.T.P.

AANAND KUMAR SINGH
25-07-2024
SECRETARY

ABHISHEK PANDEY
25-07-2024
V.C.

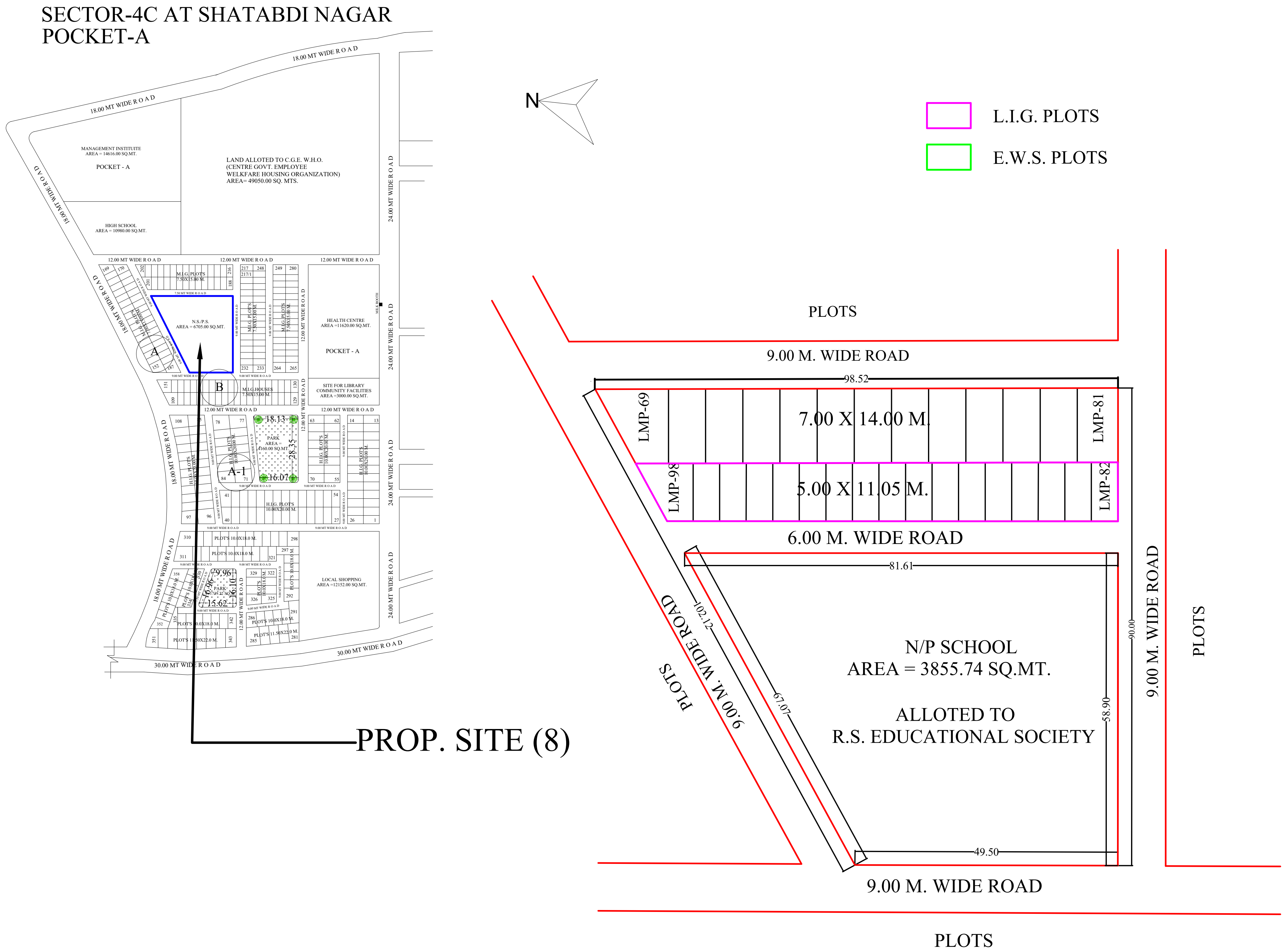

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT SHATABDI NAGAR SECTOR-4C POCKET-A IN MEERUT.(EXIST.SITE N.S./P.S.)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	6778.15 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	2922.41 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	2275.41 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	647.00

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-69 TO LMP-81	13	98.00
2.	LMP-82 TO LMP-98	17	55.25
	TOTAL	30	

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01/05/2024 SCALE :-	NORTH :-
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

SECTOR-4C AT SHATABDI NAGAR
POCKET-B

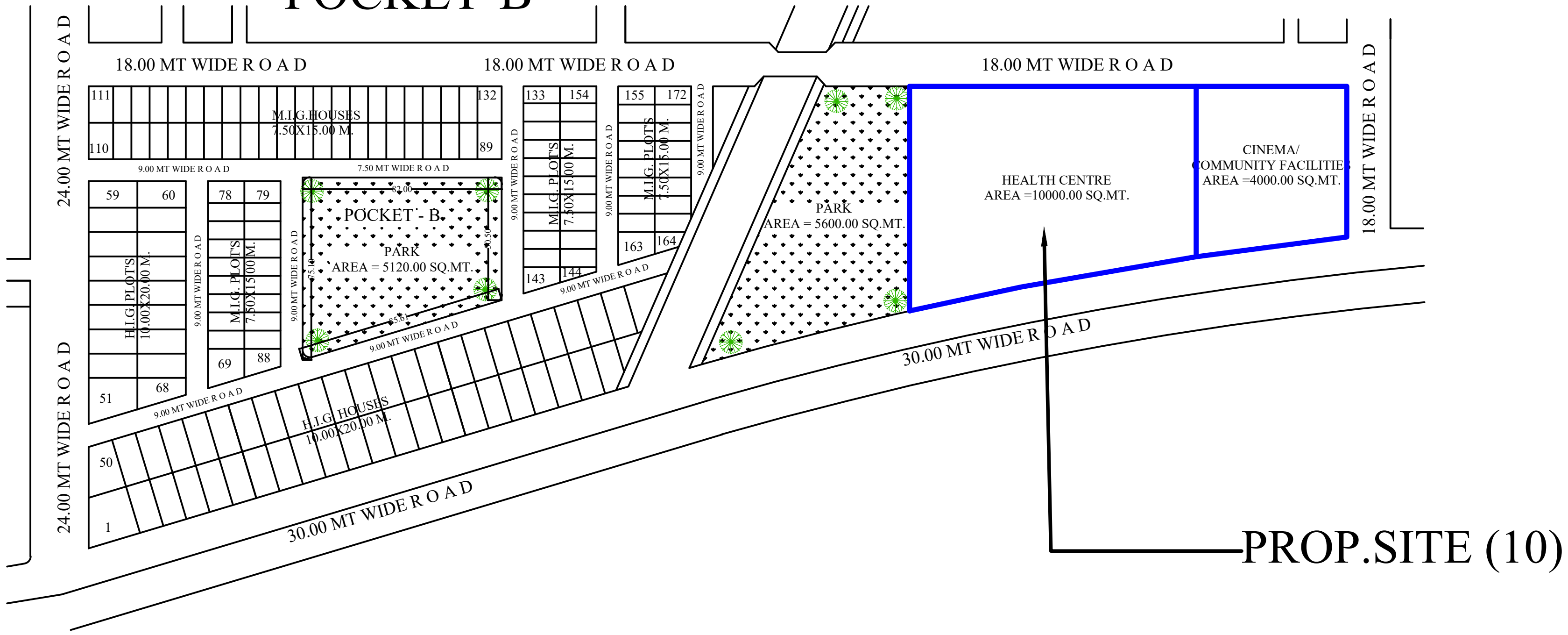

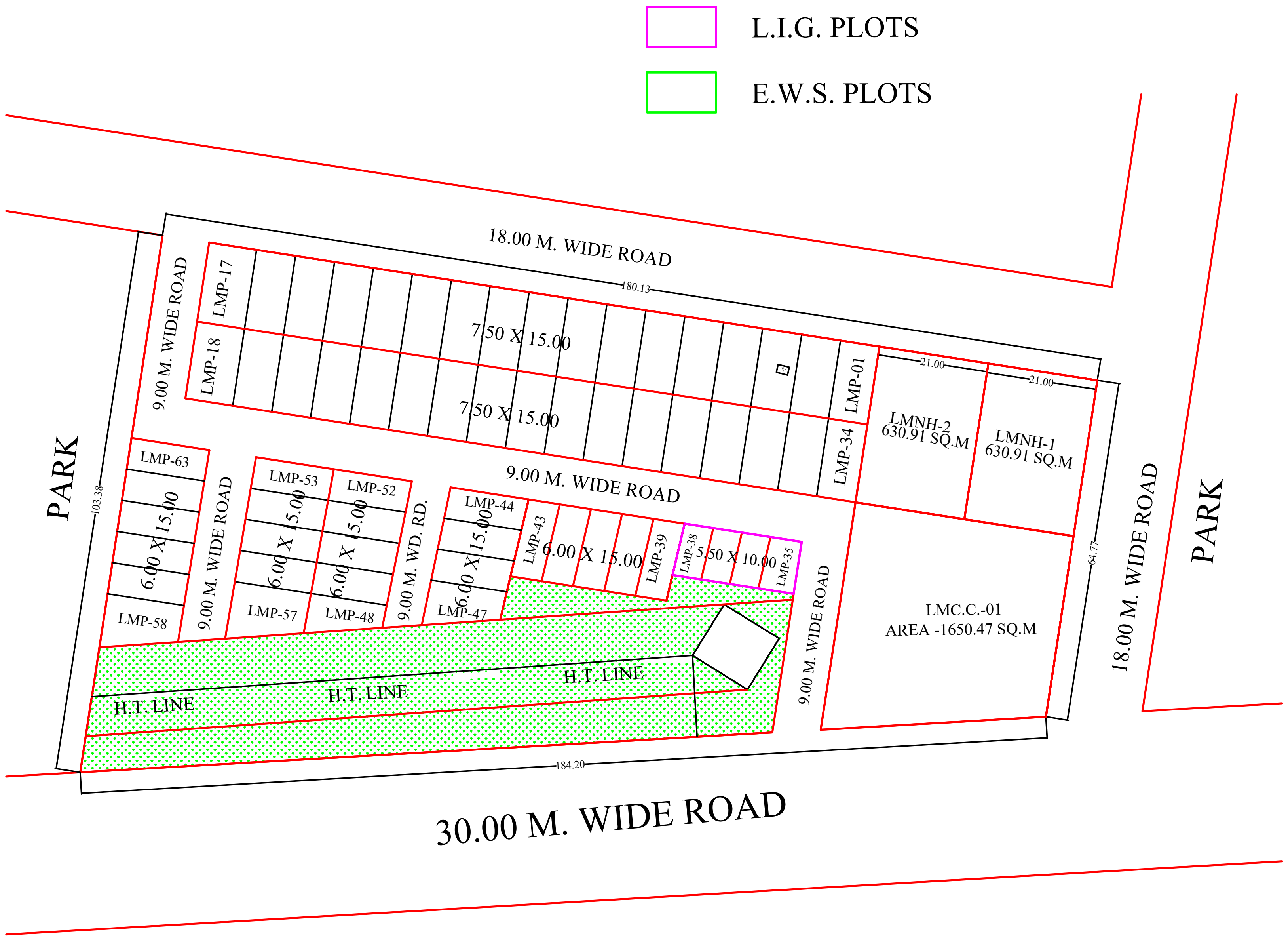

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL,N.H. & C.C. PLOTS AT SHATABDI NAGAR SECTOR-4C POCKET-B IN MEERUT.(EXIST.SITE HEALTH CENTRE , CINEMA & COMMUNITY CENTRE)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	15146.38 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	15146.38 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	9341.03 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	2359.50 SQ.M.
AREA UNDER GREEN	3445.85 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-34	34	112.50
2.	LMP-35 TO LMP-38	04	55.00
3.	LMP-39 TO LMP-63	25	90.00
	TOTAL	63	
4.	LMNH-01 , LMNH-02	02	630.91
5.	LMCC-01	01	1650.47

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01/05/2024 SCALE :-	NORTH :-
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

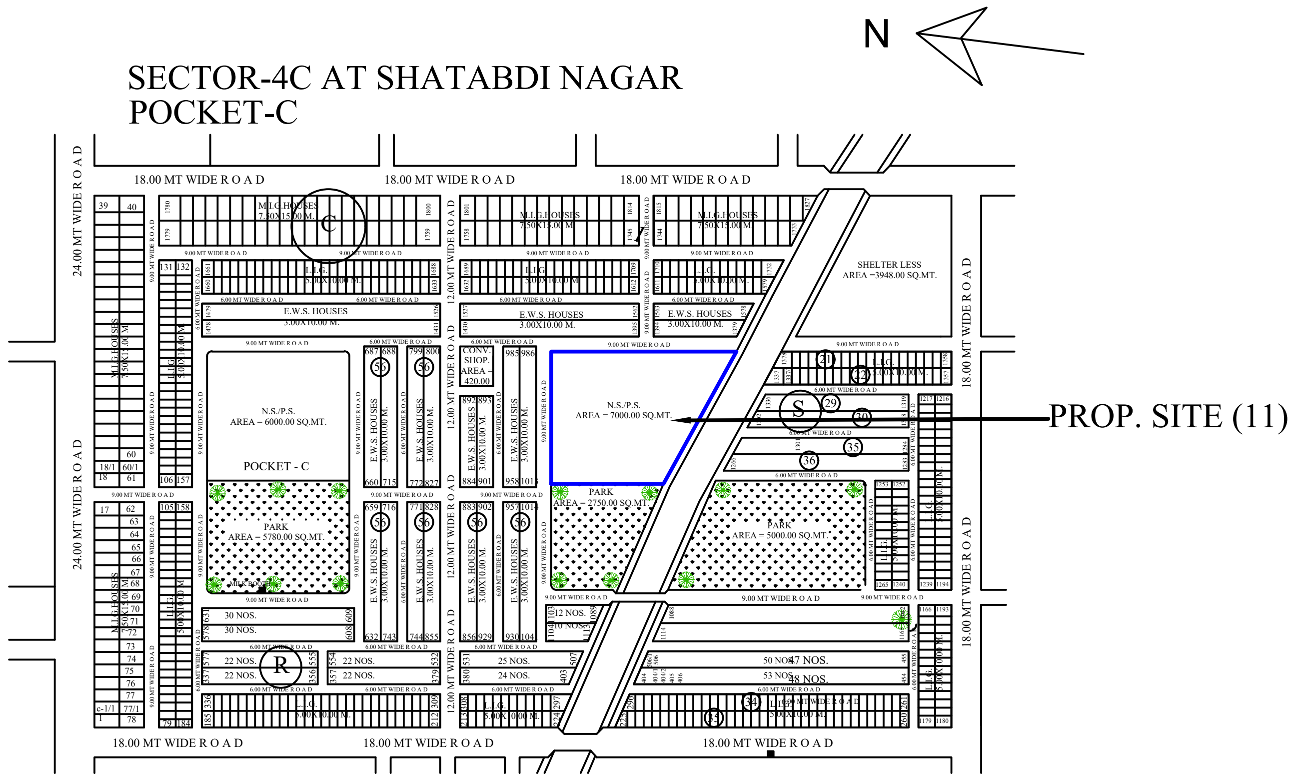

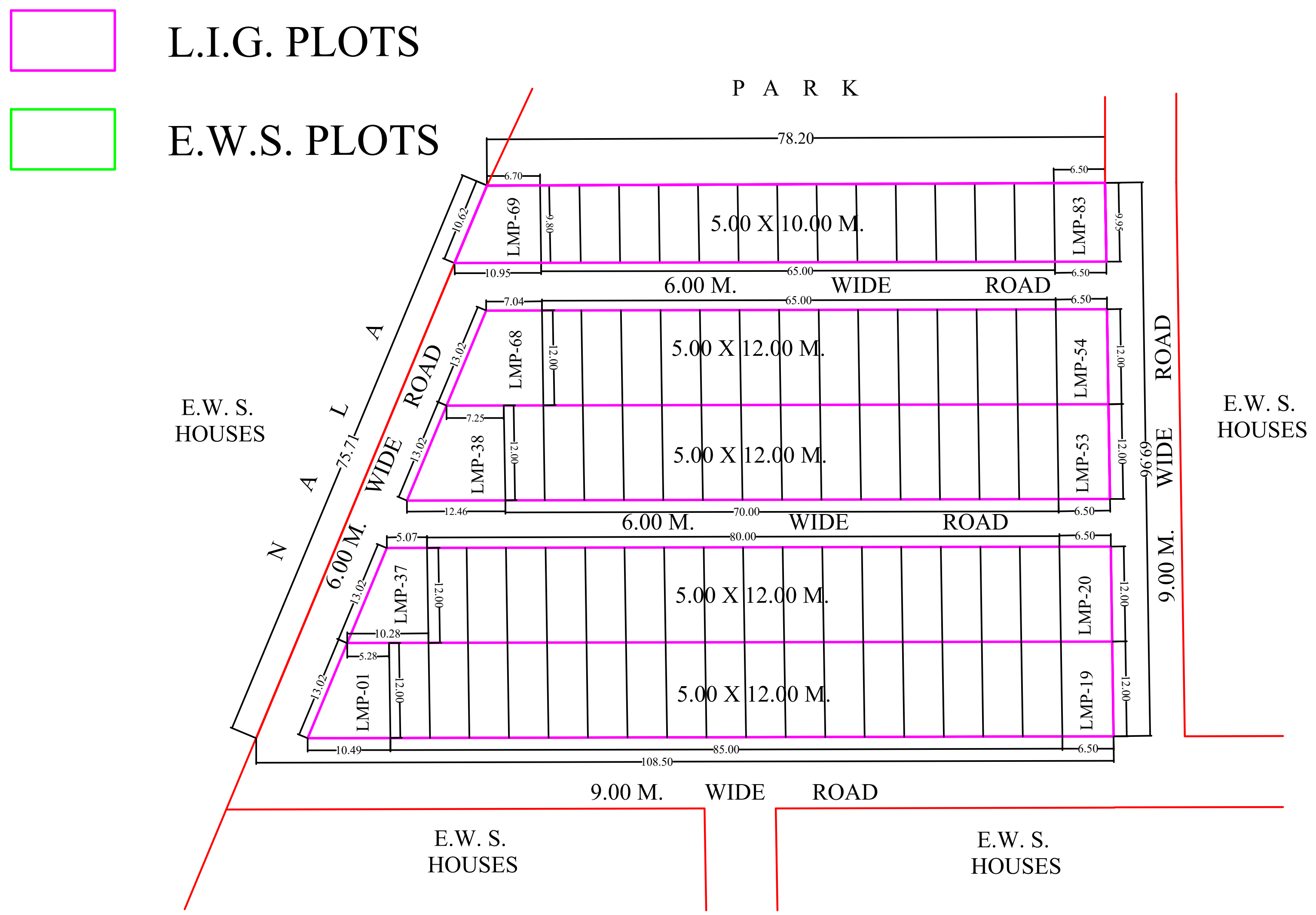

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT SHATABDI NAGAR SECTOR-4C POCKET-C IN MEERUT.(EXIST.SITE PRIMARY SCHOOL)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	6521.50 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	6521.50 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	5120.82 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	1400.68 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-68	68	60.00
2.	LMP-69 TO LMP-83	15	50.00
	TOTAL	83	

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01/05/2024 SCALE :-	NORTH :-
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

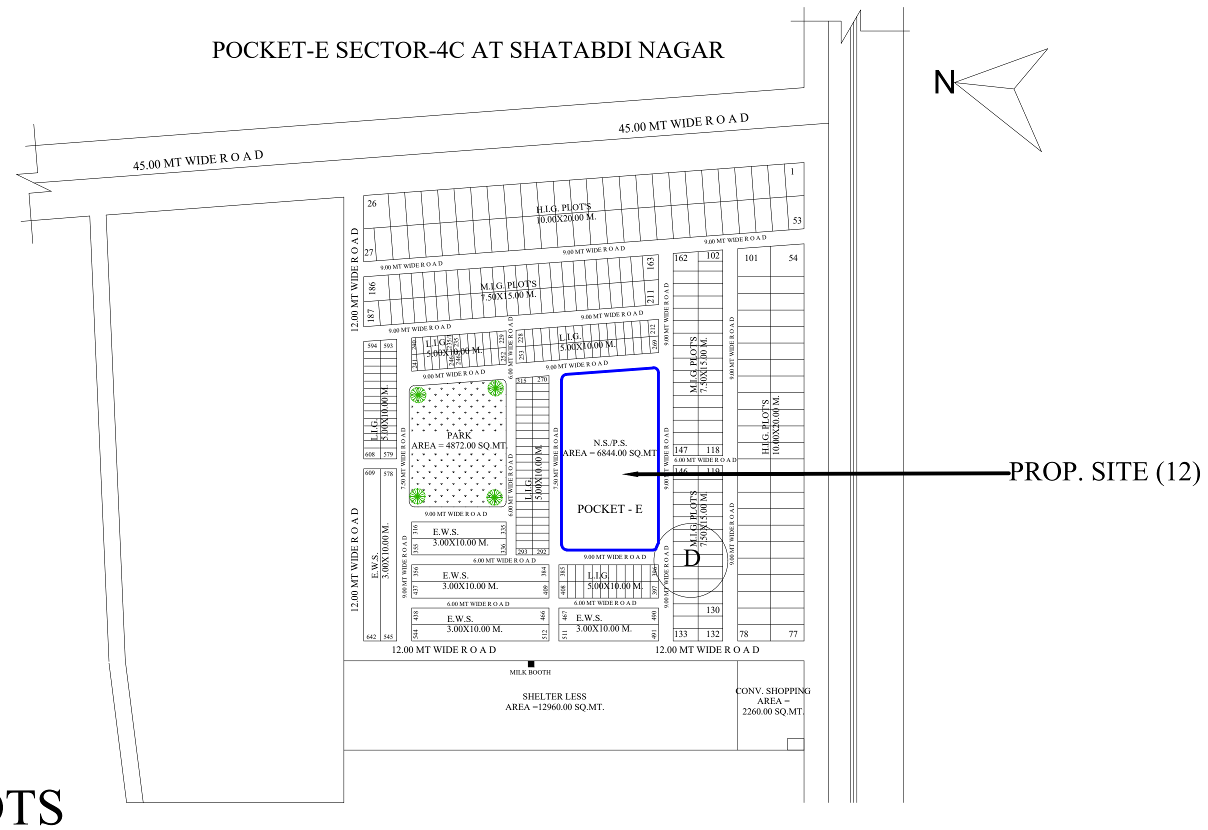

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

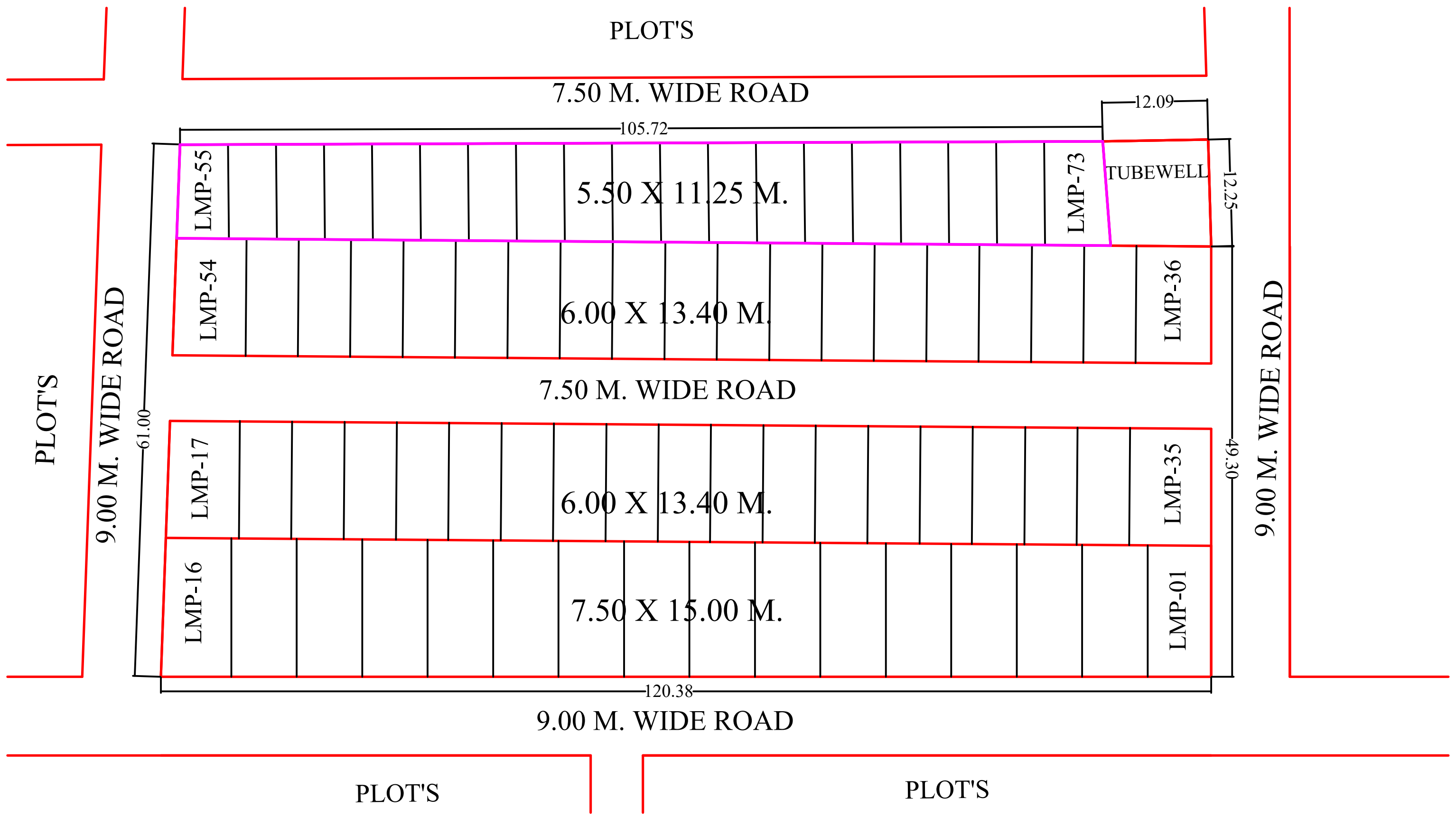

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT SHATABDI NAGAR SECTOR-4C POCKET-E IN MEERUT.(EXIST.SITE N.S./P.S.)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	7293.18 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	7293.18 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	6399.38 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	893.80 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-16	16	112.50
2.	LMP-17 TO LMP-54	38	80.40
3.	LMP-55 TO LMP-73	19	61.875
	TOTAL	73	

SUR./D.MAN

DATE :- 01/05/2024

SCALE :-

NORTH :-

A.E.PLANNING

T.P./C.T.P.

SECRETARY

V.C.

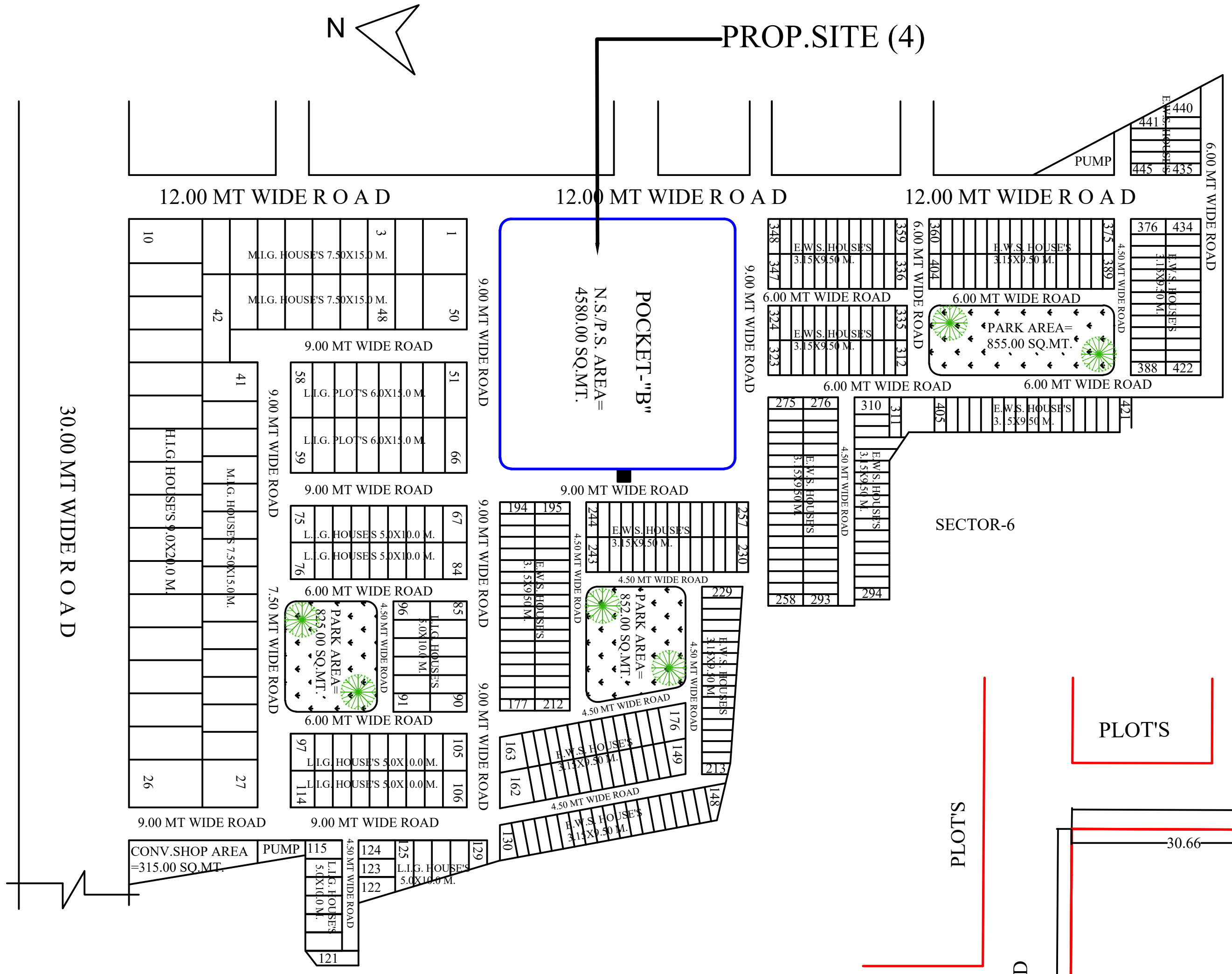

SHATABDI NAGAR SECTOR -4B (POCKET-B)

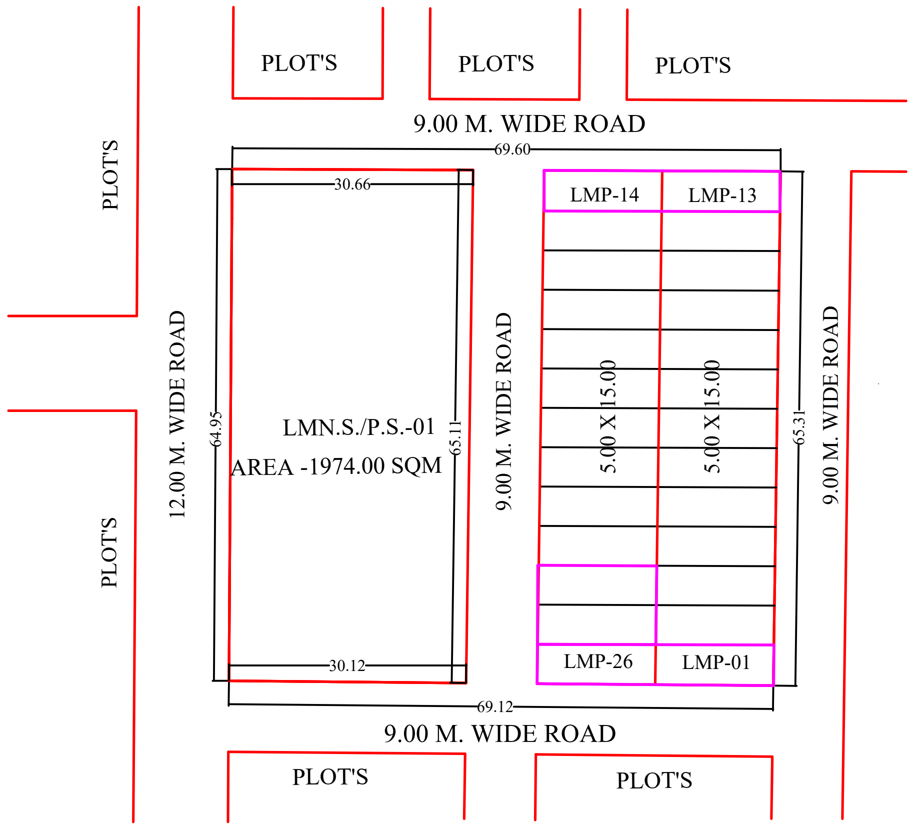

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS & N.S./P.S. AT SHATABDI NAGAR SECTOR-4B POCKET-B IN MEERUT.
(EXIST.SITE N.S./P.S.)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	4516.95 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	4516.95 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	3930.95 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	586.00 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-26	26	75.00
2.	LMN.S./P.S.-01	01	1974.00

DATE :- 01/05/2024

SCALE :-

NORTH :-

SUR./D.MAN

A.E.PLANNING

T.P./C.T.P.

SECRETARY

V.C.

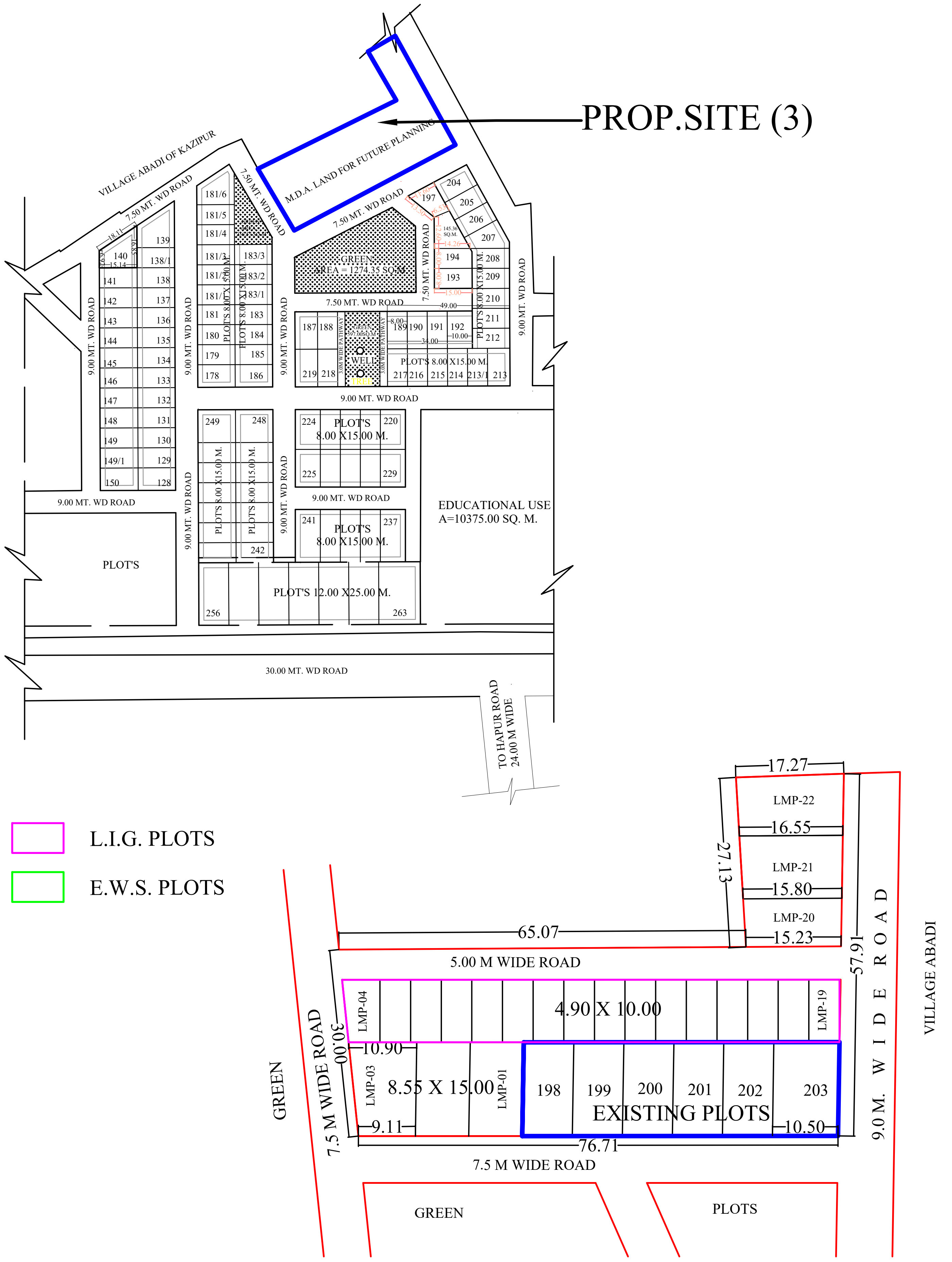

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT POCKET-C LOHIYA NAGAR ,HAPUR ROAD ,MEERUT (EXIST.SITE FUTURE PLANNING)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	2806.12 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	2048.55 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1641.95 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	406.60 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01, LMP-02	02	128.25
2.	LMP-03	01	150.00
3.	LMP-04 TO LMP-19	16	49.00
4.	LMP-20	01	119.00
5.	LMP-21 TO LMP-22	02	162.00
	TOTAL	22	

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024 SCALE :-	NORTH :-
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

LAYOUT PLAN OF SECTOR- 'L' RAM MANOHAR LOHIYA NAGAR, MEERUT

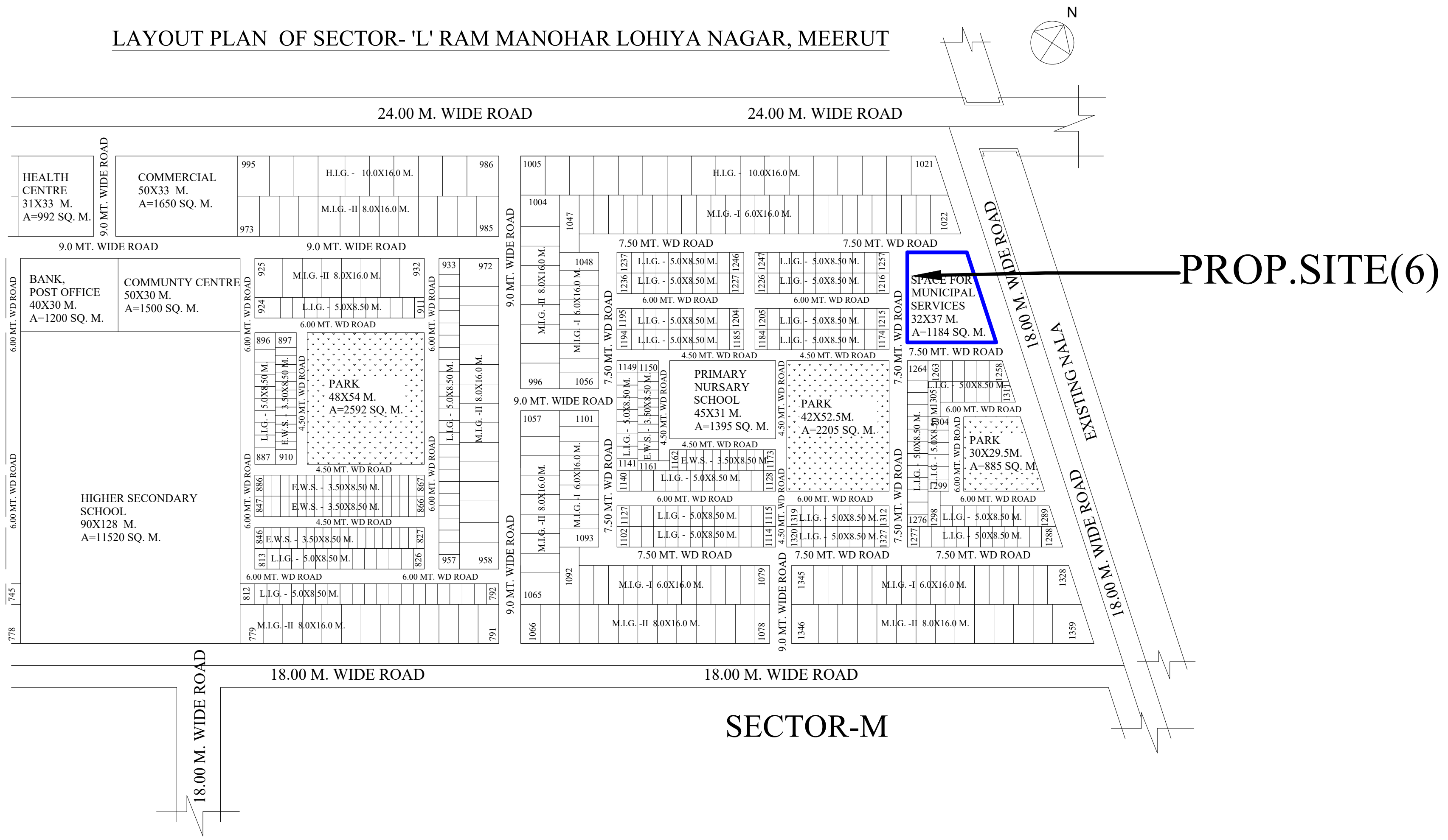

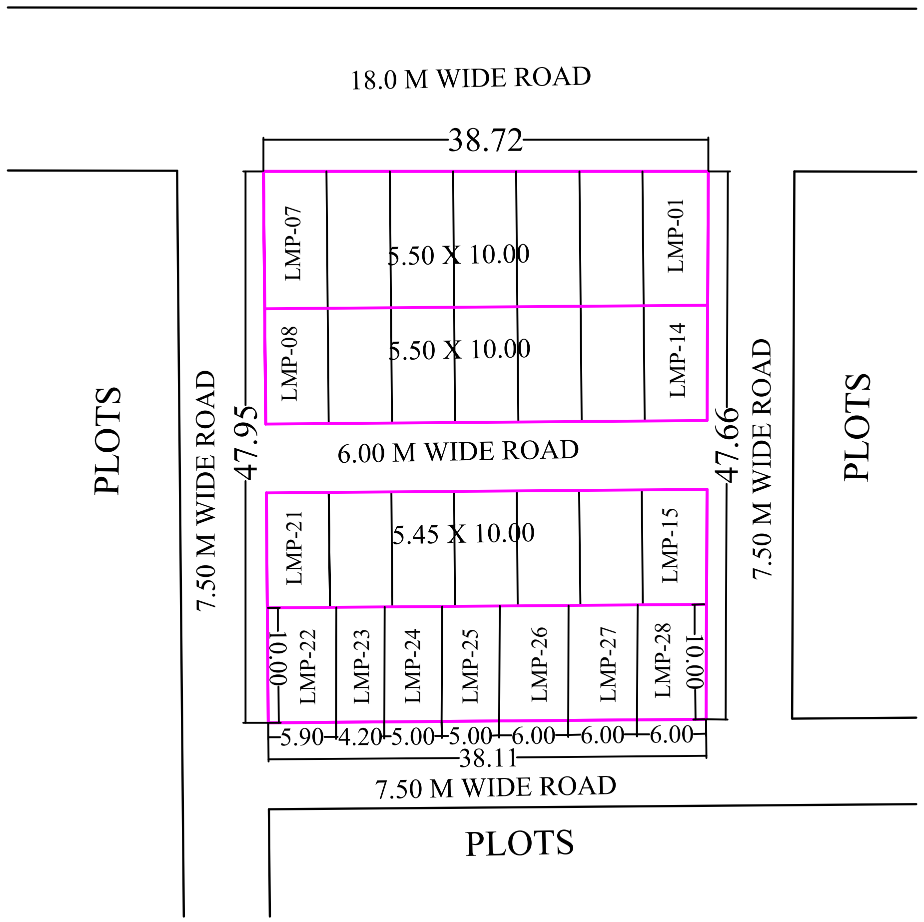

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT POCKET-L LOHIYA NAGAR ,HAPUR ROAD ,MEERUT (EXIST.SITE SPACE FOR MUNICIPAL SERVICES)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	1836.28 SQ.M
TOTAL AREA OF PLANNING	1836.28 SQ.M
TOTAL SELLABLE AREA	1606.57 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	229.71 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-14	14	55.00
2.	LMP-15 TO LMP-21	07	54.50
3.	LMP-22	01	59.00
4.	LMP-23	01	42.00
5.	LMP-24, LMP-25	02	50.00
6.	LMP-26, LMP-28	03	60.00
	TOTAL	28	

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024 SCALE :-	NORTH :-
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

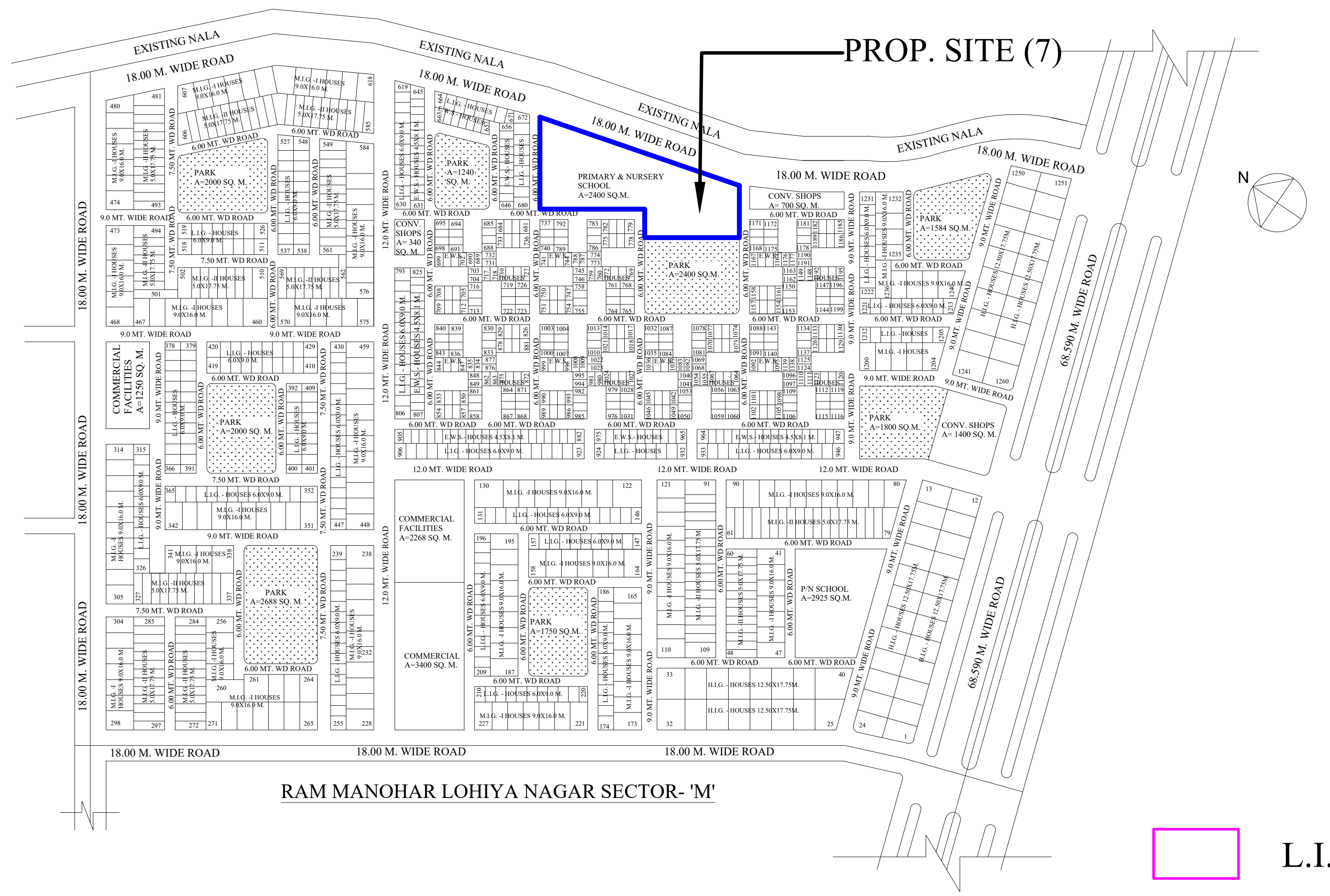

L.I.G. PLOTS

E.W.S. PLOTS

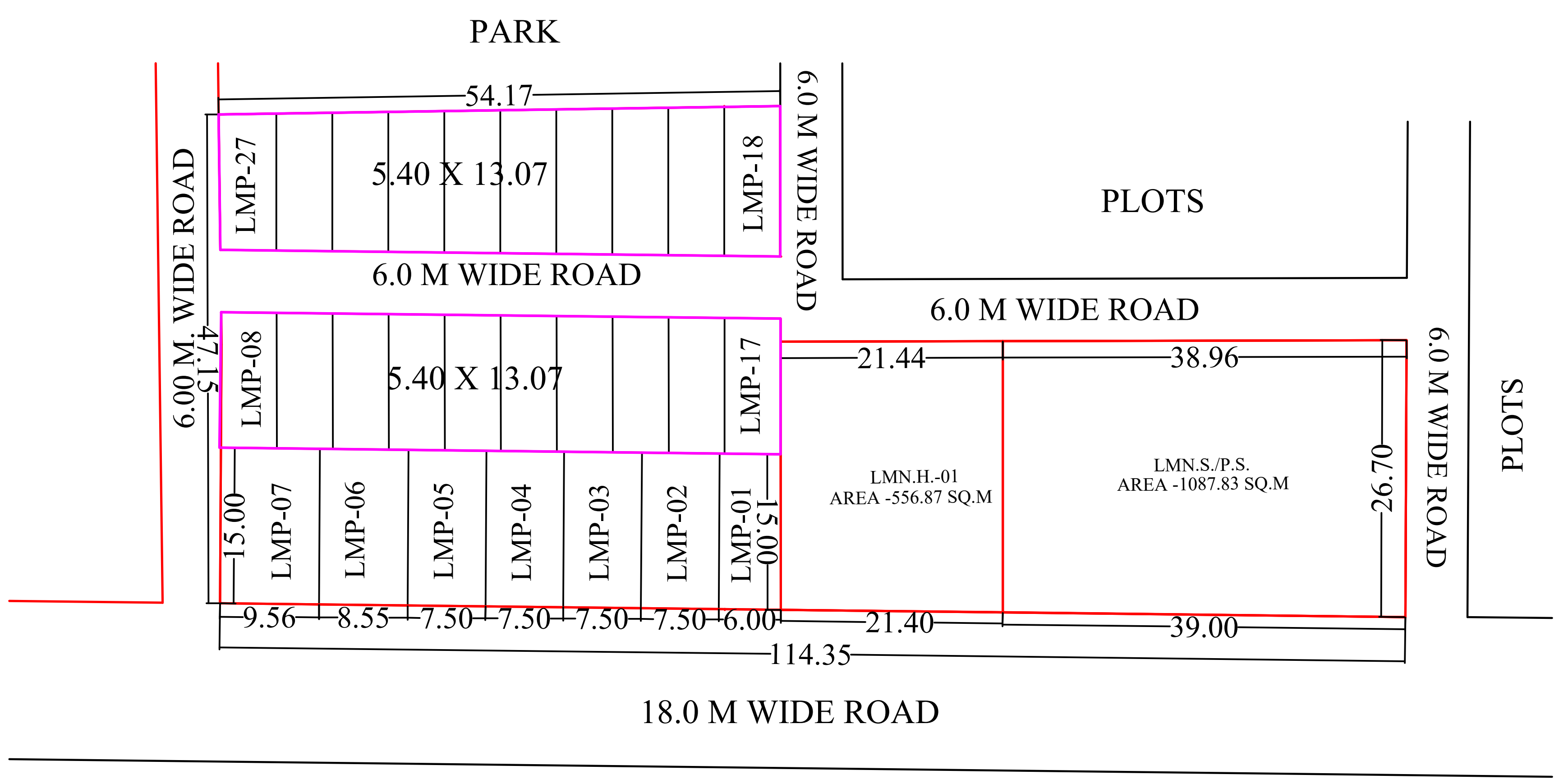

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL, N.H. & N.S./P.S. PLOT AT POCKET-M LOHIYA NAGAR ,HAPUR ROAD ,MEERUT (EXIST.SITE PRIMARY / NURSURY SCHOOL)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	4171.07 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	4171.07 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	3847.11 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	323.96 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01	01	90.00
2.	LMP-02 TO LMP-05	04	112.50
3.	LMP-06	01	128.25
4.	LMP-07	01	143.40
5.	LMP-08 TO LMP-27	20	70.58
	TOTAL	27	
6.	LMNH-01	01	556.87
7.	LMN.S./P.S.	01	1087.83

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024 SCALE :-	NORTH :-
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	